सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 26 मार्च, 2025 ई॰
चतुर्दश सत्र — 05 चैत्र, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये न । महत्वपूर्ण सूचना है, सुन लीजिये । बैठ जाइये, सूचना सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

बैठिये न, बैठ जाइये । सुनिये न पहले । बैठ जाइये । सुन लीजिये, पहले मेरी बात तो सुन लीजिये । माननीय सदस्यगण, आज....

(व्यवधान)

बैठ जाइये न । बात तो सुन लीजिये । सत्यदेव जी, बैठ जाइये । मेरी बात पहले पूरी नहीं होगी ? मुझे महत्वपूर्ण सूचना देनी है । नहीं दें ? बैठ जाइये । पहले सुन तो लीजिये मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ । क्या हो रहा है ? माननीय सदस्यगण, आज दिनांक....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सुन लीजिये न, मैं कुछ कह रहा हूँ । नहीं सुनियेगा क्या ?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री महबूब आलम वेल में आ गए)

यह तरीका होगा क्या कि आसन कुछ कहना चाहता है और आप सुनियेगा ही नहीं । आसन कुछ कह रहा है तो सुनिये पहले ।

(व्यवधान जारी)

नहीं, कोई बात नहीं होगी । पहले सुन तो लीजिये न कि क्या कहना चाहता हूँ मैं । माननीय सदस्य, बैठ जाइये । महबूब साहब, आप बैठ जाइये । पहले मेरी बात तो सुन लीजिये । महबूब साहब, यह कोई तरीका नहीं होगा, आप जिम्मेवार मेंबर हैं । सुन तो लीजिये, बैठिये न ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपने स्थान पर चले गए)

मैं कहाँ दूसरी बात कह रहा हूँ । माननीय सदस्यगण, शांत रहिये ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–26 मार्च, 2025 को प्रथम पाली की समाप्ति के तुरंत बाद आप सभी माननीय सदस्यों की एक ग्रुप फोटोग्राफी होगी, यह ग्रुप फोटोग्राफी विस्तारित भवन के दक्षिणी उद्यान क्षेत्र में होगी । प्रथम पाली की समाप्ति के तुरंत बाद आप सब से आग्रह है कि विस्तारित भवन के दक्षिणी उद्यान में ग्रुप फोटोग्राफी के स्थल पर एकत्रित हों । आज जैसे ही

प्रथम पाली खत्म होगी, वैसे ही वहां जाना है । कितनी बढ़ियां–बढ़ियां बात कह रहे हैं तो आप सुनते ही नहीं हैं ।

दूसरा सुनिये, माननीय सदस्यगण, परम्परानुसार आज दिनांक–26 मार्च, 2025 को ही 07.00 बजे संध्या में बिहार विधान सभा परिसर में आप सभी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन है । आप सभी से आग्रह है यथासमय में अवश्य भाग लेने का कष्ट करें ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

(व्यवधान)

आप ही लोगों की बात है । महोदय, सभी दल के नेताओं से विमर्श के उपरांत 17वीं बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र की शेष अवधि में कार्यों का निपटारा निम्न रूप से किये जाने पर सहमति बनी है । उस आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूँ किः–

''(1) शुक्रवार दिनांक–28 मार्च, 2025 के लिए निर्धारित बैठक नहीं हो,

(2) शुक्रवार दिनांक–28 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत सभी प्रश्न एवं लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को समीक्षा हेतु भेज दिये जायं,

(3) शुक्रवार दिनांक–28 मार्च, 2025 के द्वितीय पाली के लिए स्वीकृत गैर–सरकारी संकल्प वृहस्पतिवार यानी कल दिनांक–27 मार्च, 2025 को द्वितीय पाली में राजकीय विधेयक के स्थान पर लिये जायं । शेष कार्य यथावत रहेंगे ।''

महोदय, मेरा आग्रह है कि सदन से इसकी स्वीकृति ले ली जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''(1) शुक्रवार दिनांक–28 मार्च, 2025 के लिए निर्धारित बैठक नहीं हो,

(2) शुक्रवार दिनांक–28 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत सभी प्रश्न एवं लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को समीक्षा हेतु भेज दिये जायं,

(3) शुक्रवार दिनांक–28 मार्च, 2025 के द्वितीय पाली के लिए स्वीकृत गैर–सरकारी संकल्प वृहस्पतिवार यानी कल दिनांक–27 मार्च, 2025 को द्वितीय पाली में राजकीय विधेयक के स्थान पर लिये जायं । शेष कार्य यथावत रहेंगे ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप अपने नेता का भी आदेश नहीं मानते हैं । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न संख्या–'क'–1151 (श्री मुकेश कुमार रौशन, महुआ)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या–'ख'–1431 (श्री सुर्यकान्त पासवान, बखरी)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1–आंशिक स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित हैः–

1- T01 से कासिमपुर पथः– उक्त पथ शीर्ष PMGSY अंतर्गत निर्मित है जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के तृतीय वर्ष में है एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अंतर्गत पथ का मरम्मति कार्य कराया जा रहा है ।

2–स्वीकारात्मक । T02 से सैदपुर पथ :– उक्त पथ के मरम्मति एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शीर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (MMGSUY) अंतर्गत निविदा आमंत्रित की जा चुकी है । निविदा निष्पादन उपरांत जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

3–उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये, अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, यह रोड दो वर्ष पूर्व ही बना था....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आएगा न, शून्यकाल में उठाइयेगा ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, रोड दो वर्ष पूर्व ही बना था । रोड काफी जर्जर है, अभी जर्जर हो चुका है....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शून्यकाल में उठाइयेगा । सब पोस्टर हटा दिया जाय ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, उसकी मरम्मति, सरकार ने घोषणा की है कि सात वर्ष तक मरम्मति करेंगे । महोदय, कब तक माननीय मंत्री जी इसकी मरम्मति कराने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑलरेडी एम॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ की निविदा की प्रक्रिया आमंत्रित की गई है । निविदा जैसे ही समाप्त होती है, बहुत जल्द इसका कार्य शुरू करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका । माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, एक और मेरा पूरक है । बलिया प्रखंड के....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शून्यकाल में उठाइयेगा ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, बलिया प्रखंड में तीन वर्ष पहले बाढ़ आयी थी, सड़क जर्जर हो चुकी है, अभी वह सड़क गड्ढे में तब्दील हो गयी है । क्या सरकार उस सड़क को कब तक बनाना चाहती है ?

(व्यवधान जारी)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरह से सड़कों के निर्माण, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए संवेदनशील है । हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि वर्ष 2024–25 में बेगूसराय जिला के अंदर 241 पथों को लिया गया है । 371.249 किलोमीटर और 293.61 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है और जिस प्रखंड मटिहानी एवं उसके लिए, बलिया के बारे ये बात कर रहे हैं, वहां पर सरकार ने 19 पथ लिया है जिसमें 47.149 किलोमीटर है और 40.5 करोड़ से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शून्यकाल में उठाइयेगा ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, भविष्य में जो और सड़कें हैं उसके लिए भी सरकार संवेदनशील है । भविष्य में, आने वाले वित्तीय वर्ष में बनायेगी ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2191 (श्री विजय कुमार खेमका, पूर्णियां)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत पूर्णिया पूर्व प्रखंड के लालगंज पंचायत में किसान टोला, विक्रमपट्टी तथा कवैया पंचायत के बरबन्ना स्कूल टोला कारीकोसी नदी के किनारे अवस्थित है ।

प्रश्नगत स्थल, किसान टोला एवं विक्रमपट्टी का नदी तट से दूरी लगभग 10 मीटर है । इन स्थलों के समीप नदी तट स्थिर है । प्रश्नगत बरबन्ना स्कूल टोला का नदी तट से दूरी लगभग 500 मीटर है । वर्तमान में इन स्थलों के समीप कटाव नहीं हो रहा है एवं स्थल सुरक्षित है ।

बाढ़ अवधि 2025 में कटाव होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जायेगा ।

अध्यक्ष : श्री अरूण शंकर प्रसाद जी को प्राधिकृत किया गया है । अरूण शंकर जी, पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

वेल में कही गई कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी । माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर जाइये, शून्यकाल में अपनी बात कहियेगा । बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अपलोड नहीं हुआ था 10.30 बजे तक । माननीय मंत्री जी से उत्तर पढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार खेमका जी का उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उत्तर अपलोड नहीं हुआ है ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब आप बंद कीजिये, गड़बड़ नहीं कीजिये, नहीं तो कार्रवाई करेंगे आप पर । कार्रवाई करेंगे, नोट कीजिये इनका नाम । कल एक कर्मचारी के उंगली में चोट लग गई, यही तरीका है । इन कर्मचारियों से आपलोगों का क्या झगड़ा है? अपनी बात सरकार को कहिये । सरकार को अपनी बात कहिये, यह कोई तरीका है क्या ? लोकतंत्र में यही होता है क्या ? लोकतंत्र के आप दुश्मन हैं क्या ? लोकतंत्र में विचारों की असहमति हो सकती है, अलग–अलग विचार हो सकते हैं, लोग अपनी बात कहते हैं लेकिन टेबल उलटने का क्या मतलब है ? कर्मचारियों से आपका क्या झगड़ा है, इन गरीब कर्मचारियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं ?

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर जाइये । शून्यकाल में अपनी बात कहियेगा, अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, शून्यकाल में अपनी बात कहियेगा । सारे प्रश्न अधिकांश आप ही लोगों के हैं । आप प्रश्न पूछने में कोई रूचि नहीं रखना चाहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

श्री देवेश कांत सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2192 (श्री देवेश कांत सिंह, गोरेयाकोठी)</u>

श्री देवेश कांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अपलोड नहीं हुआ है । इसलिए माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, श्री देवेश कांत जी का उत्तर पढ़ दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसका तो उत्तर थोड़ा लंबा है । वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के सगुनी (परसा) गोपालगंज जिला में उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली प्रश्नगत सड़क सारण मुख्य नहर एवं इसके...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सुनाई ही नही पड़ी आपकी बात तो क्या बोलेंगे ? अपने स्थान पर जाइए । पहले अपने स्थान पर जाइए तब बोलिए ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइए मंत्री जी ।

माननीय सदस्यगण, आज लगभग 18 दिन सदन चला है । आपलोगों के सहयोग से इतना बढ़िया सदन चला है और क्यों अंतिम 2 दिन ये सब करना चाहते हैं, इसका कोई अर्थ है क्या ? शून्यकाल में अपनी बात उठाइए, बात सुनी जाएगी । मैं तो कह रहा हूं सुनूंगा बात, इसलिए शून्यकाल में उठाइए । क्यों अपनी छवि खराब करना चाहते हैं आप ?

(व्यवधान जारी)

क्यों अपनी छवि खराब करना चाहते हैं, इतना बढ़िया सदन चलाया आपलोगों ने । आपके सहयोग से सदन चला है बढ़िया और ये 2 दिन अंतिम में क्यों ऐसा दृश्य उत्पन्न करना चाहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

बच्चे सब देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कैसा व्यवहार आप सब कर रहे हैं । अपने स्थान पर चले जाइए, शून्यकाल में अपनी बात उठाइएगा ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइए अपने स्थान पर । बैठ जाइए, शून्यकाल में अपनी बात कहिएगा । माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस सड़क के पक्कीकरण का कार्य 2 खंडों में 3 वर्ष पूर्व कराया गया था । पहले खंड के संवेदक द्वारा सेवा पथ के फ्लैंक में...

(व्यवधान जारी)

ब्रिक सोलिंग कार्य अधूरा छोड़ने के कारण उनके एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए मंत्री जी, बैठ जाइए ।

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी आपके इस व्यवहार से । यह कहीं से भी शोभनीय नहीं है । कितना अवसर मैंने आपलोगों को दिया है, इतना पहले कभी नहीं मिला । हर...

(व्यवधान जारी)

हर चीज में आपको पर्याप्त अवसर देने का काम किया । इतना क्वेश्चन ऑवर चला, शून्यकाल चला, आपने जो कार्य–स्थगन प्रस्ताव दिया पढ़वाया मैंने आपको, तब आप ये व्यवहार कर रहे हैं और कितनी सुविधाएं चाहिए ? सारी सुविधाएं आपको दी गईं, इतना बढ़िया सदन चलाया आप सबने लेकिन आप सब अपना चरित्र क्यों उजागर करना चाहते हैं ? इतना अच्छा चरित्र बना है आप सबका, मत करिए ऐसा, जाइए अपने स्थान पर बैठ जाइए । अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहिए ।

(व्यवधान जारी)

क्या करें, नहीं चलाना चाहते हैं सदन ? फोटो खिंचवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?

(व्यवधान जारी)

नहीं चलाना है ?

(व्यवधान जारी)

अभी तुरंत यहां से चलकर फोटो खिंचवाना है ।

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है लेकिन आप सबसे आग्रह है तुरंत चलिए यहां से, अभी आपकी फोटोग्राफी के लिए व्यवस्था कराते हैं । सब लोग साथ में फोटो खिचाएंगे, आइए ।

टर्न–03 / सुरज / 26.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे।

माननीय सदस्यगण, आज कुल 144 गैर सरकारी संकल्प की सूचना आयी है । आज की बैठक का समय 04.00 बजे अपराह्न तक है । आप सबों से आग्रह है कि शीघ्रता से अपनी बात रखें और मैं सरकार के मंत्रीगण से भी आग्रह करूंगा कि ये भी संक्षेप में सरकार का पक्ष रखेंगे ताकि अधिक से अधिक संकल्प की सूचनाओं का निपटारा हो सके ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक–1 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0

श्री ऋषि कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल को जिला बनावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें प्रक्रिया यह है कि जिला पदाधिकारी द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से अनुशंसा भेजी जाती है फिर यहां अन्तर्विभागीय सचिवों की समिति है, वह एग्जामिन करती है फिर सरकार निर्णय लेती है । ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये अभी इस पर विचार करना संभव नहीं है।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ऋषि कुमार : महोदय, बस एक बात कहना चाहते हैं कि 1885 का नगर परिषद्...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ऋषि कुमार : जी महोदय, संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–2 : डॉ0 संजीव कुमार, स0वि0स0

डॉ0 संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के गैरमजरूआ खास और टोपोलैंड जमीन के रिटर्न में नाम दर्ज होने के साथ

विगत 85 वर्षों से जिनकी जमाबंदी चल रही है और शांतिपूर्ण दखल कब्जा होने के बाद भी वर्ष 2016 से लगान रसीद पर जो रोक है उसे हटावे ।''

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–925(6) दिनांक–11.11.2014 के द्वारा गैर मजरूआ मालिक/सरकारी भूमि/बकाश्त भूमि के दावों के निष्पादन के संबंध में निदेश निर्गत किये गये हैं । बकाश्त भूमि से संबंधित विवाद के समाधान के लिये विभाग ने संकल्प संख्या–925(6) दिनांक–11.11.2014 के तहत समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता प्राधिकृत है । जबकि गैर मजरूआ मालिक/ सरकारी भूमि के लिये संबंधित जिला समाहर्त्ता को रैयती दावे के निर्धारण के लिये सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत किया गया है । जहां तक असर्वेक्षित भूमि का संबंध है असर्वेक्षित भूमि के संबंध में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोवस्त करने के अंतर्गत असर्वेक्षित ग्राम के श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में असर्वेक्षित श्रेणी के भूमि के राज्य के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण कराये जाने का निर्देश निर्गत है । इसलिये मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे बिहार...

अध्यक्ष : सरकार ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है ।

डॉ0 संजीव कुमार : नहीं, नहीं यह स्पष्ट नहीं है...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 संजीव कुमार : स्पष्ट नहीं है, महोदय ।

अध्यक्ष : डिस्कशन कितना हो सकता है ।

डॉ0 संजीव कुमार : पूरे किसान पीड़ित हैं इससे...

अध्यक्ष : सरकार ने बड़े साफ–साफ शब्दों में कहा है ।

डॉ0 संजीव कुमार : सिर्फ बोले हैं अध्यक्ष महोदय कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिला स्तर पर, सारे विधायक समझ रहे हैं पक्ष और विपक्ष भी । बहुत जरूरी है किसान अन्नदाता हैं । अब जमीन से वंचित...

अध्यक्ष : सरकार विशेष रूप से ध्यान रखे ।

डॉ0 संजीव कुमार : कोई लाभ नहीं मिल रहा है इसका।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह तो बतायें कि लाभ मिलेगा, कुछ पॉजीटिव जवाब तो दें ।

अध्यक्ष : सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 संजीव कुमार : महोदय, मैं एक ही शर्त पर संकल्प वापस लूंगा कि इसका रशीद कटे किसानों का, तब संकल्प वापस लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–3 : श्री सुनील मणि तिवारी, स0वि0स0

श्री सुनील मणि तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के गोविन्दगंज घाट एवं गोपालगंज जिले के सलेमपुर घाट को जोड़ने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों, अत्यधिक कृषि उत्पादों, परिवहन एवं धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने हेतु गंडक नदी पर आधुनिक पुल/सेतु का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी दूसरे सदन में हैं आयेंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक–4 : श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0

श्री महा नंद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दिल्ली, पंजाब व झाारखण्ड राज्यों की तरह 200 यूनिट बिजली फ्री करावे तथा सभी बकाया बिजली बिल माफी के साथ ही स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता भी समाप्त करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना अन्तर्गत अनुदान प्रदान किया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि प्रश्न वर्णित राज्यों में उपभोक्ताओं के द्वारा 200 यूनिट विद्युत ऊर्जा से अधिक खपत किए जाने के उपरांत सम्पूर्ण खपत का विपत्रीकरण भुगतान संबंधी विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाता है जबकि बिहार राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा खपत की गई सम्पूर्ण विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं द्वारा देय राशि की गणना माननीय बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित विद्युत दर में मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजनान्तर्गत अनुदान का समायोजन करते हुए सस्ती दर पर किया जाता है । उदाहरणस्वरूप स्मार्ट मीटर अथवा गैर–स्मार्ट मीटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने वाले सभी गरीब बी0पी0एल0 विद्युत उपभोक्ताओं को माननीय बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित 7042 रुपये प्रति यूनिट के सापेक्ष में 5045 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत दिया जाता है एवं विद्युत ऊर्जा के मद में उनको मात्र 1.79 रुपये प्रति यूनिट का दर देय है । ग्रामीण घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर 7.42 रुपये प्रति यूनिट के सापेक्ष में राज्य सरकार द्वारा रुपया 4.97 प्रति यूनिट देय अनुदान के अनुसार प्रभावी दर पर 2.45 यूनिट ही देय है । कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर 6.74 प्रति यूनिट के सापेक्ष में राज्य सरकार द्वारा 6.19 प्रति यूनिट देय भुगतान के पश्चात प्रभावी दर पर केवल 55 पैसे प्रति यूनिट भी है । विदित हो कि कुटीर उद्योग, घरेलू, ग्रामीण एवं उपभोक्ता राज्य में कुल उपभोक्ताओं के सापेक्ष में लगभग 70 प्रतिशत है ।

वस्तुस्थिति यह है कि स्मार्ट मीटर, प्रीपेड एवं सामान्य दोनों प्रकार के मीटर डिजिटल मीटर की श्रेणी में आते हैं । दोनों प्रकार के मीटरों में ऊर्जा खपत की गणना प्रक्रिया एक समान है । स्मार्ट, प्रीपेड मीटर में एक मॉडल सिम लगा होता है जो पर्याप्त नेटवर्क, सिग्नल की उपलब्धता में मीटर में दर्ज ऊर्जा खपत को केन्द्रीय सर्वर पर दैनिक आधार पर प्रेषित किया जाता है, जिसके आधार पर स्वतः ही अर्थात् किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना विद्युत विपत्रीकरण होता है । इस कारण स्मार्ट प्रीपेड मीटर विद्युत विपत्र में त्रुटि की संभावना नगण्य है । इससे आम उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की वितरण कंपनियों द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन किया जा रहा है । स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को अधिक खपत के भ्रम को दूर करने हेतु पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर फ्री में लगाकर खपत की तुलना कर उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने की भी कार्रवाई की जा रही है । अतः स्मार्ट प्रीपेड मीटर सभी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक है एवं वर्तमान में उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के पश्चात ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन किया जा रहा है । राज्य में अब तक कुल लगभग 63 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य में उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : आज महा नंद बाबू का जो संकल्प था वह गागर में सागर था और माननीय मंत्री जी शायद पहली बार इतना लंबा जवाब पढ़ रहे हैं कि गागर में से सागर निकाल कर पढ़ रहे हैं इसलिये...

श्री महा नंद सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : सुन लीजिये । इसलिये जब इतना विस्तार से माननीय मंत्री जी स्पष्ट किया अपनी स्थिति तो क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री महा नंद सिंह : महोदय, इतना लंबा–चौड़ा जवाब दिया गया है लेकिन उसका निष्कर्ष क्या है ? अभी मंत्री महोदय बोल रहे थे, मेरे पास साक्ष्य है कि एक दिन पहले रिचार्ज किया गया । दूसरे दिन...

अध्यक्ष : साक्ष्य दे दीजियेगा मंत्री जी को । क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री महा नंद सिंह : साक्ष्य हम देना चाहते हैं...

अध्यक्ष : दे दीजिये सक्ष्य माननीय मंत्री जी को । संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री महा नंद सिंह : जी महोदय, संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

टर्न–4 / राहुल / 26.03.2025

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना है । इसलिए उनके विभाग से जुड़े हुए जो 4 संकल्प हैं उनको मैं थोड़ा पहले ले लेता हूं ।

श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, श्रीमती रश्मि वर्मा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, श्री विजय कुमार खेमका जी हमको प्राधिकृत किये हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । बोलिये ।

क्रमांक–79 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य स्तरीय नोडल केन्द्र पूर्णिया भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय के 210 एकड़ परिसर में संचालित मखाना अनुसंधान केन्द्र एवं मखाना उत्पादन में पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र पूर्णिया की अग्रणी भूमिका को देखते हुए पूर्णिया में मखाना बोर्ड स्थापित करावे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में केन्द्र सरकार के द्वारा की गयी है । मखाना बोर्ड की स्थापना केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, इसके गठन एवं स्थापना को लेकर विचार अभी प्रारंभिक स्तर पर है । मखाना बोर्ड के स्थल चयन पर राज्य सरकार का यदि मत प्राप्त किया जाता है तो मखाना के बेहतर उत्पादन, उत्पादकता एवं कृषकों के लाभ के हित में स्थल चयन पर विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : वापस लेते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–73 : श्री अशोक कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अच्छा । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला में कृषि महाविद्यालय नहीं है जबकि यह जिला कृषि प्रधान है, छात्र–छात्राओं को कृषि की पढ़ाई के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है जिससे आर्थिक बोझ पड़ता है। सरकार दुर्गावती प्रखंड के कृषि फार्म (25 एकड़) पर कृषि महाविद्यालय का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कृषि फार्म का कुल रकबा 25 एकड़ है जिसमें 20 एकड़ में बीजोत्पादन का कार्य होता है एवं 5 एकड़ में गोदाम, खलिहान, रास्ता, कुआं एवं तालाब है । वित्तीय वर्ष 2023–24 में रबी फसल अंतर्गत यथा गेहूं, चना एवं मसूर का क्रमशः 33.52, 16.43 तथा 8.60 क्विंटल फसलों का उत्पादन किया गया है । वित्तीय वर्ष 2024–25 में खरीफ फसल अंतर्गत धान और कोदो मिलेट का क्रमशः 151.93 एवं 5.13 क्विंटल फसलों का उत्पादन किया गया है । बीज गुणन प्रक्षेत्र दुर्गावती में प्रजनन आधारित बीज का उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन किया जाता है । उत्पादित बीज को बिहार राज्य बीज निगम, कुदरा में जमा किया जाता है तथा इसी निगम के माध्यम से किसानों को गुणवत्तायुक्त, उत्तम एवं नवीनतम प्रमाणित बीज सुलभ होता है जिसके उपयोग से फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ कृषकों की आय में भी वृद्धि होती है । कैमूर जिले के समीपवर्ती दो जिले भोजपुर एवं बक्सर में पूर्व से दो कृषि महाविद्यालय स्थापित हैं । भोजपुर जिले में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा एवं बक्सर जिले में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरावं वर्तमान में कार्यरत है जिससे कैमूर जिले के छात्रों को कृषि विषयों की पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होती है । अतएव सरकार के स्तर पर कैमूर जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ? अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि कैमूर जिला कृषि प्रधान जिला है और वहां के छात्रों को पढ़ाई के लिए कृषि का...

अध्यक्ष : आपका आग्रह सुन लिया है मंत्री जी ने । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अशोक कुमार सिंह : मैं तो आग्रह करूंगा...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

बैठिये आप । आप बैठिये । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

बैठिये । शांत रहिये, शांत रहिये ।

क्रमांक–5 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जल संसाधन विभाग, सीतामढ़ी के अधीन...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं वापस लीजियेगा तो वोटिंग करा देंगे । उसमें क्या है ?

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जल संसाधन विभाग, सीतामढ़ी के अधीन लखनदेई नदी में 0 प्वाइंट धुमहा से वाजपट्टी तक नहर को बंद कर दिया गया है, नहर को चालू करावे ।''

अध्यक्ष : मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूं कि आपका संकल्प जीवित रहे । रिजेक्ट हो जायेगा तो कुछ नहीं होगा बाद में । यह समझ में नहीं आता है तो करिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, लघु जल संसाधन विभाग में ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : महोदय, अभी जवाब नहीं आया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वैसे इस संकल्प का विषय लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित है । हमने उसे वहां स्थानांतरित कर दिया है लेकिन लघु जल संसाधन मंत्री जी उपस्थित हैं, उनसे मेरी बात हुई है इस पर वे सकारात्मक विचार करेंगे । इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...

अध्यक्ष : जब उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच रहे हैं ना ।

श्री अनिल कुमार : जी सर, इसीलिए माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं और...

अध्यक्ष : इतना लंबा डिस्कशन नहीं होगा । ऐसे करेंगे तो दो दिन, चार दिन चलता रहेगा ।

श्री अनिल कुमार : अपना संकल्प वापस लेते हैं । बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–124 : श्रीमती रश्मि वर्मा, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक–6 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य में वृद्धजनों, विधवा महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के जीवन–यापन के लिए मिलने वाले पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 3000 (तीन हजार रुपये) करावे ।''

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो बहुत बड़ा है संक्षेप में उनका...

अध्यक्ष : संक्षेप में बताइये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : संक्षेप में इसका यह है कि माननीय सदस्य ने चार सौ रुपये से पेंशन की राशि तीन हजार रुपये करने का उन्होंने अनुरोध किया है तो अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह अभी विभाग के अंतर्गत इस पर विचार किया जा रहा है लेकिन तत्काल अभी हम माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार विचार कर रही है । क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशील मामला है...

अध्यक्ष : हां, इसीलिए तो सरकार विचार कर रही है । क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुंदन कुमार : मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है और...

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुंदन कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–7 : श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिला के एकमात्र अनुमंडल बांका से धोरैया प्रखंड को अलग करते हुए और जिला के 11 प्रखंडों में से धोरैया को अनुमंडल बनावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी हमने ऋषि कुमार जी के संकल्प के सिलसिले में कहा था कि अनुमंडल बनाने की या जिला बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है । उस प्रक्रिया से यह प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । जब उस प्रक्रिया से प्रस्ताव आयेगा तब विचार किया जायेगा । अभी आप इसको वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब विचार आयेगा तो मैं आग्रह करूंगा प्राथमिकता दी जाय और धोरैया प्रखंड को अनुमंडल बनाया जाय और...

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भूदेव चौधरी : मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–8 : श्री रामविलास कामत, स0वि0स0

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला अंतर्गत सुपौल–सरायगढ़ रेलखंड में किशनपुर प्रखंड के फुलकहा गांव से कोशी बांध तक जाने वाली सड़क में रेलवे भूमिगत मार्ग (Under Pass)का निर्माण करने की सिफारिश रेल मंत्रालय भारत सरकार से करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, कहां रहते हैं आप ? रामविलास कामत जी का उत्तर पढ़िये । अंडरपास बनाना है ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिलांतर्गत सुपौल–सरायगढ़ रेलखंड में किशनपुर प्रखंड के फुलकहा गांव से कोशी बांध तक जाने वाली सड़क में अंडरपास के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–1432, दिनांक–04.03.2005 द्वारा पूर्व–मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

टर्न–5 / मुकुल / 26.03.2025

श्री राम विलास कामत : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अनुरोध किया गया है । आपका स्वीकृत हो गया, अब बैठ जाइये, बहस करने की क्या जरूरत है ।

अभी माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग को उच्च सदन में जाना है तो इनसे जुड़ा हुआ एक गैर सरकारी संकल्प है तो मैं उसे पहले ले लेता हूं ।

क्रमांक–14 : श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०रा०

श्री मुकेश कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न देने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

(व्यवधान)

शांत रहिये, मंत्री जी का जवाब सुनिये । सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों के साथ भारत रत्न के लिए भी नाम अनुशंसा करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जो सितम्बर माह में शुरू होती है, वैसे अभी जो माननीय सदस्य का प्रस्ताव है उनको भारत रत्न देने की अनुशंसा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । इसलिए महोदय, माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन ली जाय । 1990 में जब गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दिया जाय । बिहार के मुख्यमंत्री बनें तब जाकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं शोषित/वंचित समाज के लोगों को सामाजिक न्याय के साथ आजादी दिलाने का काम किये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सब लोग जानते हैं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : इसलिए महोदय यह प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाये कि लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न देना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने अपनी राय व्यक्त की है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : नहीं महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न देने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक–124 : श्रीमती रश्मि वर्मा, स०वि०रा०</u>

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कृषि अनुसंधान शिक्षा एवं कृषि तकनीक के प्रचार–प्रसार के लिए वर्ष 2010 से पहले एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा में स्थापित था । राज्य सरकार की पहल पर भारत सरकार द्वारा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा को डॉ0 राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पुसा में

परिवर्तित किया गया है । इसके अधीन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में वानिकी एवं उद्यानिक महाविद्यालय, मोतिहारी, बिहार की स्थापना की गयी है जो पश्चिम चम्पारण जिला के नजदीक है । पश्चिम चम्पारण जिला में कृषि महाविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार के समक्ष सम्प्रति विचाराधीन नहीं है । इसलिए माननीय सदस्या से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सरकार के उत्तर में स्पष्ट किया गया है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है कि वहां के सारे बच्चे बाहर....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अभी प्रस्ताव नहीं है, सरकार ने कहा है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जितनी जल्दी हो सके इस प्रस्ताव को....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–9 : श्री नारायण प्रसाद, स०वि०स०

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत बेतिया ईमली चौक बसवरिया से नौतन प्रखंड मुख्यालय तक ग्रामीण कार्य विभाग की (बेतिया–गोपालगंज मुख्य पथ) अवशेष पतली सड़क का चौड़ीकरण एवं जर्जर बगही ग्राम पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 7.30 कि०मी० है । यह बेतिया गोपालगंज मुख्य पथ का पथांश है, जिसका निर्माण नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत बसवरिया चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सनसरैया होते हुए तिलंगाही पथ के नाम से दिनांक–24.04.2021 को पूर्ण किया गया है ।

उस समय के ट्रैफिक सर्वे के आधार पर पथ का Carriageway 3.75 मीटर रखा गया था । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है एवं पथ की स्थिति अच्छी है ।

इस पथ के तीसरे कि०मी० पर तिरहुत मुख्य नहर गुजरती है, जिस पर अन्य विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित 20 मीटर लम्बाई का पुराना आर.सी.सी. पुल (बगही पुल) है । पुल आंशिक क्षतिग्रस्त है, जिस पर आवागमन चालू है । सम्प्रति मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अन्तर्गत पश्चिमी चम्पारण जिला के जिला संचालन समिति से प्राप्त प्राथमिकता सूची में उक्त पुल शामिल नहीं है । अनुरक्षण अवधि समाप्ति के पश्चात् ट्रैफिक सर्वे के फलाफल के आधार पर पथ एवं पुल के निर्माण पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–10 : श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स०

श्री सुधांशु शेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के हरलाखी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत–सलेमपुर, उत्तरा, विशनपुर, लोमा, रैया, हरसुवार, एवं ग्राम–बिरौली (बेनीपट्टी) में अर्द्धनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवन निर्माण को पूरा करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सलेमपुर का भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत, उत्तरा का 70 प्रतिशत, रैमा का 60 प्रतिशत, हरसुवार का 65 प्रतिशत तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विशनपुर का भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है, जिसे जुलाई 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बिरौली का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, शीघ्र ही उसे अस्पताल प्रशासन को हस्तगत करा दिया जायेगा ।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र, लौमा के भवन का निर्माण हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है । शीघ्र ही निविदा का निष्पादन करते हुये निर्माण कार्य विहित प्रक्रियानुसार प्रारम्भ करा दिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ।

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–11 : श्री अमर कुमार पासवान, स०वि०स०

श्री अमर कुमार पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मुजफ्फरपुर के बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र अर्न्तगत प्रखंड मुशहरी के मुजफ्फरपुर पुसा पथ के नरौली चौक से ग्राम–सुतिहारा अम्वा सुतिहारा शिवराम होते हुये बंकुल, छपरा, माड़ीपुर से एन0एच0–28 तक जाने वाली जर्जर सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित प्रश्न तीन पथों से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत् हैः–

1. मुजफ्फरपुर पूसा पथ के नरौली चौक से ग्राम सुतिहारा तक पथ–इस पथ की लम्बाई 3.16 कि०मी० है, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् स्वीकृत है एवं निविदा की प्रक्रिया में है । निविदा निष्पादन के उपरान्त उक्त पथ का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

2. बंकुल छपरा से माड़ीपुर पथ– इस पथ की लम्बाई 2.95 कि०मी० है, जो द्वारिकानगर चौक से माड़ीपुर पथ (लम्बाई 4.25 कि०मी०) का पथांश है। यह पथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् स्वीकृत है एवं निविदा की प्रक्रिया में है । निविदा निष्पादन के उपरान्त उक्त पथ का निर्माण कार्य कराया जाएगा ।

3. माड़ीपुर से एन0एच0–28 तक पथ–इस पथ की लम्बाई 5.50 कि०मी० है, जिसका निर्माण नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत महंथ एन0एच0–28 मनियारी से सिलौत पथ के नाम से कराया गया है । यह पथ वर्तमान में पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के पंचम वर्ष में है एवं पथ की स्थिति संतोषप्रद है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री अमर कुमार पासवान : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल जवाब संतोषपूर्ण है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–12 : श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स०</u>

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय प्रखंड के मोतिहारी एन०एच०–9 के निकट स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्णशीर्ण ध्वस्त भवनों को सुदृढ़ कराते हुए आधुनिक अस्पताल के रूप में विकसित करावे।''

टर्न–6 / यानपति / 26.03.2025

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सदर प्रखंड मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है । जहां से स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं । इसका भवन ठीक अवस्था में है एवं उस परिसर में

अवस्थित पुराना स्टाफ क्वाटर की स्थिति जर्जर है । उक्त स्वास्थ्य केंद्र से मात्र डेढ़ कि0मी0 की दूरी पर संचालित सदर अस्पताल से आमजनों को सुचारू रूप से सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं । अतः उक्त स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के स्पष्ट जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राणा रणधीर : महोदय, वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

जी नहीं, बैठिए, अब अंत में । जिनका छूट गया है वह अंत में फिर से शुरू करेंगे । पहले यह होने दीजिए । मंत्री जी रहेंगे ।

क्रमांक–13 :श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, मैं प्रस्ताव से पहले एक बात की जानकारी दे देना चाहता हूं कि कोचाधामन प्रखंड में...

अध्यक्ष : प्रस्ताव पढ़िए ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके पेशानी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिख दिया है लेकिन अब तक वह स्वास्थ्य केंद्र...

अध्यक्ष : पहले प्रस्ताव पढ़िए न ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : नहीं, इस पर गौर करने की जरूरत है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव पढ़िए महोदय ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत 55, कोचाधामन विधान सभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोचाधामन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मान्यता प्रदान करावे ।''

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोचाधामन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित करते हुए नये भवन का निर्माण कराया गया है एवं इसका नवनिर्मित भवन हस्तगत है, जहां से आमजनों की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं । उक्त स्वास्थ्य केंद्र के सुगम संचालन हेतु मानक के अनुरूप चिकित्सा कर्मियों का प्रशिक्षण एवं उपकरणों के अधिष्ठापन की कार्रवाई क्रमशः विचाराधीन या प्रक्रियाधीन है । इसलिए माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुहम्मद इजहार असफी : नहीं, संतोषजनक जवाब नहीं है । मैंने पूछा कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वह क्यों नहीं बना और बनने से पहले उसके ऊपर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों लिखकर के रखा है, मेरा यह कहने का मतलब है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जवाब साफ–साफ दिया है, स्पष्ट किया है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुहम्मद इजहार असफी : संकल्प वापस तो लेंगे ही, नहीं लेंगे तो लेना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–15 :श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत वेलसढ़ प्रखंड के सौली रूपाली पंचायत के ओलीपुर ग्राम में वर्ष–2005 में आई भीषण बाढ़ में बागमती नदी के बांध टूट जाने के कारण वहां के पूरे गांव की नदी में तब्दील जमीन से उक्त गांव के विस्थापित रैयतों के भूमि को पुनः भरवाकर पुनर्वासित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी दूसरे सदन में गए हैं, आयेंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक–16 :डॉ0 आलोक रंजन, स0वि0स0

डॉ0 आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सहरसा जिला का कला के क्षेत्र में योगदान को स्मरण करते हुए पंचगछिया घराने में काम करने वाले मिथिला विभूति मांगन महतो के नाम से सहरसा में कला विश्वविद्यालय का निर्माण करावे ।''

श्री मोती लाल प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिले में कला विश्वविद्यालय निर्माण कराने का प्रस्ताव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में विचाराधीन नहीं है । परंतु भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है । आग्रह है माननीय सदस्य से कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है, क्या उसके आलोक में अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 आलोक रंजन : महोदय, जब सरकार खेल विश्वविद्यालय बना रही थी उसी समय में कला विश्वविद्यालय की सहमति भी बनी थी ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने पूरी बात बताई है आपको, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 आलोक रंजन : महोदय, यह कोशी क्षेत्र का...

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 आलोक रंजन : महोदय, मंत्री जी इस पर सहमति दें ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 आलोक रंजन : वापस तो लेंगे महोदय लेकिन मंत्री जी सहमति दें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–17 :श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत नरंगा ग्राम में धान एवं मक्का आधारित उद्योग एथनॉल प्लांट लगावे ।''

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा स्वयं किसी इकाई की स्थापना नहीं की जाती है, निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति में निहित प्रावधानों के तहत सहायता प्रदान की जाती है । उक्त प्रखंड के नरंगा ग्राम में धान एवं मक्का आधारित प्लांट लगाने हेतु निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्तमान लागू औद्योगिक नीति के तहत यथासंभव सहायता प्रदान की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती गायत्री देवी : वापस तो ले ही लेंगे, मंत्री जी अच्छे मंत्री जी हैं, वहां लगवाने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–18 :श्री संतोष कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है ि कवह रोहतास जिलान्तर्गत करगहर विधान सभा क्षेत्र के करगहर प्रखं डमें अवस्थित दो अति महत्वपूर्ण पथ यथा (1) करगहर–बड़हरी–धर्मपुरा पथ लंबाई 19.5 कि0मी0 एवं (2) बरांव–जहानाबाद पथ लंबाई 27 कि0मी0 उक्त दोनों जर्जर पथों को ग्रामीण विभाग से अधिगृहित कर पथ निर्माण विभाग से पुनर्निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित दोनों पथों की मरम्मती एवं उन्ययन हेतु ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है एवं निविदा की गई । निविदा प्राप्ति

की अंतिम तिथि 26.03.2025 है, निविदा निष्पादन के उपरांत दोनों पथों की मरम्मती एवं उन्नयन कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा । उक्त दोनों पथों को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरण करने में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थितियों में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना प्रस्ताव वापस लें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने साफ कहा है कि वह सड़क बना दिया जायेगा ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : नहीं महोदय, वापस नहीं लूंगा क्योंकि यह प्रस्ताव है । माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, एक मिनट मेरी बात सुनी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत करगहर विधान सभा क्षेत्र के करगहर प्रखं डमें अवस्थित दो अति महत्वपूर्ण पथ यथा (1) करगहर–बड़हरी–धर्मपुरा पथ लंबाई 19.5 कि0मी0 एवं (2) बरांव–जहानाबाद पथ लंबाई 27 कि0मी0 उक्त दोनों जर्जर पथों को ग्रामीण विभाग से अधिगृहित कर पथ निर्माण विभाग से पुनर्निर्माण करावे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–19 :श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड के बैगनी गांव से पश्चिम भवानीपुर गांव के पास जलवार नदी में वियर तथा स्लुइस गेट का निर्माण करावे ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए अपने स्थान पर । ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्या आपको ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के बैगनी गांव से पश्चिम भवानीपुर गांव के पास जलवार नदी में वियर तथा स्लुईस गेट निर्माण कार्य तकनीकी संभाव्यता, प्राथमिकता एवं निधि उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी के गांव के इर्द–गिर्द कहीं खेत पटवन की बात मैं किया हूं ।

अध्यक्ष : इसीलिए तो जवाब दिया उन्होंने ।

श्री रामबली सिंह यादव : और दूसरा है महोदय...

अध्यक्ष : दूसरा नहीं, क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : दुनिया के देशों में जहाज से कीटनाशक डाला जाता है महोदय खेतों में और दूसरी जगह किसान अपने बल पर बांध बनाते हैं इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

उनकी पैरवी करने की आपको जरूरत नहीं है । उनका दर्द सुनने के लिए यहां बहुत लोग बैठे हुए हैं, चिंता मत कीजिए आप ।

टर्न–7 / अंजली / 26.03.2025

<u>क्रमांक– 20 : श्री अखतरूल ईमान, स॰वि॰स॰</u>

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर प्रखण्ड के कनकई नदी के सिमलबाड़ी घाट पर करावे पूल का निर्माण ना होने से 10 से 12 पंचायतों के लगभग डेढ़ लाख की आबादी को प्रखण्ड मुख्यालय एवं अस्पताल की 5 से 10 किलोमीटर दूरी को 25 से 30 किलोमीटर में तय करनी पड़ती है के मद्देनजर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर प्रखंड के कनकई नदी के सिमलबाड़ी घाट पर स्तरीय पुल निर्माण हेतु जिला संचालन समिति पूर्णियाँ के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक–91 पर अंकित है । प्राथमिकतानुसार स्वीकृति के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर निविदा के माध्यम से पुल निर्माण कार्य की कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : सरकार के जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पॉजिटीव आंसर दिया है लेकिन एक बात कहूंगा, मेरे यहां 72 टूटे हुए पुल हैं और मेरे यहां से, मैं दावे के साथ कहता हूं कि...

अध्यक्ष : अभी तो आपने एक पुल का जिक्र किया, क्या संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, यकीनन है कि आपके आदर का सम्मान करूंगा, आपके आदेश का, लेकिन यह तो...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 21 : श्री विनय कुमार चौधरी, स॰वि॰स॰

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के बेनीपुर विधान सभा अंतर्गत पड़ने वाले +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित राज्य के सभी +2 माध्यमिक उच्च विद्यालयों में वाणिज्य की पढ़ाई करावे ।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मापदंड के आधार पर राजकीय/राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के वाणिज्य समूह के अंतर्गत कुल तीन विषयों तथा यथा लेखा शास्त्र, बिजनेस स्टेडी एवं इंटरप्रेन्योरशिप में से दो विषयों का मानक संख्या को निर्धारित किया गया है, इन विद्यालयों में वाणिज्य की पढ़ाई की जा रही है । वर्तमान में उत्क्रमित नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य पढ़ाई हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है परंतु माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर विचार किया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, एक मिनट बोलने दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार किया जाएगा । क्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, एक मिनट । महोदय, आपसे से तो बाहर कोई नहीं है और मैं तो नहीं ही हूं लेकिन एक मिनट, आप जब पढ़ाई करते हैं...

अध्यक्ष : अब कैसा सकारात्मक जवाब चाहते हैं ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार कर रहे हैं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, एक मिनट । महोदय, अगर एक लाइन से, इतना देर में मैं बोल दिया रहता ।

अध्यक्ष : क्या संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, जब आप पढ़ते थे तो कला के लिए लोगों के प्रति...

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं विनय जी ?

श्री विनय कुमार चौधरी : लेकिन आज सांइस की पढ़ाई होती है, वाणिज्य की पढ़ाई लोगों को करावें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है अब कैसा जवाब चाहते हैं ? विनय जी कैसा जवाब आप चाहते हैं ? इतना सकारात्मक जवाब अगर सरकार दे रही है, आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार चौधरी : जी–जी । महोदय, बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । श्री प्रेम शंकर प्रसाद ।

सरकार के सकारात्मक जवाब के बाद फिर प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करिएगा तो कैसे चलेगा ? बताइए । एक तो आज सब मंत्री लंबा–लंबा जवाब लेकर आए हैं और ऊपर से आप लोग जवाब से संतुष्ट भी नहीं हो रहे हैं बड़ी मुश्किल है । श्री प्रेम शंकर प्रसाद । बोलिए प्रेम जी ।

<u>क्रमांक– 22 : श्री प्रेम शंकर प्रसाद, स॰वि॰स॰</u>

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के डुमरिया घाट पर मोक्षधाम एवं रिवरफ्रंट की सुरक्षा का निर्माण कार्य करावे ।''

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गोपालगंज जिला के डुमरिया घाट स्वीकृत रिवरफ्रंट योजना का निर्माण कार्य दिनांक–03.06.2021 को पूर्ण किया जा चुका है, जिसे कार्यपालक अभियंता, बुडको, सिवान+गोपालगंज के पत्रांक–428, दिनांक–23.07.2022 द्वारा जिला परिषद गोपालगंज को हस्तांतरित कर दिया गया है । डुमरिया घाट पर मोक्षधाम निर्माण हेतु नमामि गंगे योजनान्तर्गत कुल 5 करोड़ 21 लाख 35 हजार 700 रुपए मात्र की योजना को विभागीय पत्रांक–2659 (A), दिनांक–06.03.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । योजना हेतु चयनित संवेदक को बुडको के पत्रांक–783, दिनांक–06.03.2025 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है । योजना को 9 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा । इसका शिलान्यास भी 07.03 को माननीय केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री के कर–कमलों के द्वारा किया जा चुका है । यह तो हो ही चुका है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक– 23 : श्री ललित नारायण मंडल, स॰वि॰स॰

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के शाहकुण्ड प्रखण्ड अन्तर्गत पवित्र गरीबनाथ पर्वत को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करते हुए माँ बागेश्वरी मंदिर सुख सरोवर से बाबा गरीबनाथ पर्वत पर स्थित मंदिर तक पक्की पथ का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित माँ बागेश्वरी मंदिर को पंचायत द्वारा निर्मित पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं गरीबनाथ पर्वत स्थित मंदिर एस.एच.–85 से पक्की सीढ़ी द्वारा संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पथ का आरेखन पहाड़ पर अवस्थित है जो वन विभाग का क्षेत्र है जिसमें कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण किसी भी कोर–नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । संप्रति विभाग का लक्ष्य सभी योग्य बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता प्रदान किया जाना है । इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : सरकार के जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेना ही पड़ेगा, लेकिन हो जाता तो अच्छा रहता ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, मुझे ऑथोराइज किया गया है ।

अध्यक्ष : बोलिए ।

क्रमांक– 24 : श्री अरूण सिंह, स॰वि॰स॰

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड–बिक्रमगंज, पंचायत–घोषिया कला के ग्राम–कंडाडीह, घोषिया कला एवं नगर परिषद्–विक्रमगंज के ग्राम सिकरिया के ग्रामीण काव नदी पर बांस के चचरी के सहारे आवागमन स्थल स्थित पार पथ का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित तीन स्थल यथा ग्राम–सिकरिया में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत पुल निर्माण हेतु जिला संचालन समिति रोहतास द्वारा काराकाट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुशंसित योजनाओं की सूची में क्रमशः क्रमांक–3, 5 एवं 4 पर बिक्रमगंज प्रखंड के कंडाडीह ग्राम के सामने काव नदी पर पार पथ फुट ब्रिज बिक्रमगंज

प्रखंड के घोषिया कला में मुल्हा के सामने काव नदी पार पथ एवं बिक्रमगंज प्रखंड के सिकरिया ग्राम नगर परिषद के सामने काव नदी पर फुट ब्रिज के नाम में शामिल है । समीक्षोपरांत प्राथमिकता क्रम के अनुसार स्वीकृति प्रदान कर पुल निर्माण करा दिया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : जी महोदय । महोदय, चचरी का पुल है उसको बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बना दिया जाएगा तो अब क्या कहना ?

श्री रामबली सिंह यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, ई॰ शशि भूषण सिंह । शशि भूषण सिंह जी, पढ़िए । माईक पर बोलिए ।

<u>क्रमांक– 25 : ई॰ शशि भूषण सिंह, स॰वि॰स॰</u>

ई॰ शशि भूषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा अन्तर्गत प्रखण्ड सुगौली में NH-28 (A) पर अवस्थित छपवा चौक के चारों दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की बसावट क्षेत्र में नाला का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरण किया गया है ।

अध्यक्ष : नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : महोदय, मंत्री जी आ रहे हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी आयेंगे तब आपका जवाब होगा । ठहर जाइए । श्री राकेश कुमार रौशन ।

<u>क्रमांक– 26 : श्री राकेश कुमार रौशन, स॰वि॰स॰</u>

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला के इस्लामपुर नगर परिषद् क्षेत्रांतर्गत नेता जी सुभाष उच्च विद्यालय इस्लामपुर में स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खेल विभाग, पढ़िए । राकेश रौशन जी का है ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : माईक पर बोलिए ।

(व्यवधान)

शांत रहिएगा तब न जवाब देंगे । शांत रहिए भाई । सुनियेगा कैसे ? माननीय सदस्य को सुनने भी नहीं दे रहे हैं आप ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री खेल विभाग योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण का लक्ष्य...

अध्यक्ष : पढ़िए, माननीय मंत्री जी, जवाब पढ़िए ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : इस्लामपुर प्रखंड अंतर्गत नेताजी सुभाष उच्च विद्यालय इस्लामपुर नगर परिषद में अवस्थित है । इस्लामपुर प्रखंड में वर्ष 2008–09 में मध्य विद्यालय कोविल में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, जिसका कार्य पूर्ण है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहेंगे कि अपना संकल्प वापस लें ।

टर्न–8 / पुलकित / 26.03.2025

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि यह जवाब मंत्री जी का लगातार आ रहा है । जो स्टेडियम बना था वह ग्रामीण इलाके में है ।

अध्यक्ष : जवाब में उन्होंने कहा है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, शहरी इलाके में एक भी स्टेडियम नहीं है । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–27 : श्री दिलीप राय, स0वि0स0</u>

श्री दिलीप राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं जिला परिषद् सदस्य के मानदेय की राशि में बढ़ोतरी करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–3466, दिनांक–11.06.2013 द्वारा पंचायत समिति, प्रमुख, उप प्रमुख एवं

सदस्यों को पूर्व में स्वीकृत नियत मासिक भत्ता को विभागीय संकल्प संख्या–2517, दिनांक–05.05.2015 द्वारा वृद्धि की गयी है । जिसके अनुसार जिला परिषद् अध्यक्ष को 12 हजार, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10 हजार, जिला परिषद् सदस्य 01 हजार, पंचायत समिति प्रमुख 10 हजार, समिति उप प्रमुख 05 हजार, पंचायत समिति सदस्य 01 हजार किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री दिलीप राय : जी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–28 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0</u>

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के प्रखण्ड परसा अंतर्गत पंचायत–अंजनी एवं बनौता पंचायत के चवर में बरसात एवं बाढ़ के पानी से जल–जमाव की जल निकासी की व्यवस्था करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बनौता नाला से गण्डक से पानी निकासी हो जाती है उस चौड़ में गाद जमा है, हम प्राक्कलन बनवा रहे हैं । गाद की सफाई करा देंगे और पानी की निकासी हो जाएगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री छोटे लाल राय : जी, हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–15 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्रमांक–15, संजय कुमार गुप्ता जी के गैर सरकारी संकल्प का जवाब दे दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क्रमांक–15 आपदा प्रबंधन विभाग से हस्तांतरित है । हमने विभाग में बात की है इसकी व्यवस्था हमलोग करेंगे इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह हैं कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजय कुमार गुप्ता : जी महोदय, हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–3 : श्री सुनील मणि तिवारी, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, क्रमांक–03, सुनील मणि तिवारी जी के गैर सरकारी संकल्प का जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर घाट एवं पूर्वी चम्पारण जिला अरेराज अनुमंडल के बीच गण्डक नदी पर प्रश्नगत पुल स्थल से 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और गोपालगंज, बेतिया गण्डक नदी पर एक नव–निर्मित पुल है तथा डाउन स्ट्रीम 15 किलोमीटर की दूरी पर डुमरिया घाट के गण्डक नदी पर पुल निर्मित है । तकनीकी संभाव्यतः एवं संसाधन उपलब्धता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर पुल निर्माण पर विचार किया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुनील मणि तिवारी : जी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–29 : श्री प्रणव कुमार, स0वि0स0

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर प्रमंडलीय जिला मुंगेर का ऐतिहासिक जिला के मुख्य द्वार के पास ही मुंगेर बस पड़ाव एवं बस पड़ाव की जगह जहां बस लगती है अतिक्रमित है जर्जर भवन को तोड़कर नए भवन बनवाने तथा अतिक्रमण मुक्त करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर बस पड़ाव पर स्थाई अतिक्रमण नहीं है । मुंगेर बस पड़ाव पर चहारदिवारी निर्माण वर्तमान में करायी जा रही है । जर्जर भवन के निरीक्षण का निर्देश दिया गया है कि अतिक्रमण मुक्त करने हेतु जिला पदाधिकारी, मुंगेर को निर्देश दिया गया है । इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रणव कुमारः अध्यक्ष महोदय, अभी तक वहां कोई निर्माण नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने जांच के लिए कहा है, ऑर्डर किया है । आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रणव कुमार : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–30 : श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के अंतिम छोर झारखण्ड सीमा से सटे ग्राम–बंदरा, बरहोरीया से पीरबीगहा, गोहरा रोड से नावाडीह, मझियावां से सौरू–भौरू एवं टनकुप्पा प्रखंड के शिला से धनेता टोला एवं फतेहपुर रोड से समलगढ़ी तक सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित बसावटों यथा ग्राम बंदरा, पीरबीगहा, नावाडीह, सौरू–भौरू, धनेता टोला एवं समलगढ़ी को एकल सम्पर्कता देने हेतु विभागीय मोबाईल ऐप द्वारा सर्वे कराया गया है, जिसकी सर्वे की आई0डी0 अलग–अलग है । समीक्षोपरांत शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर पथ निर्माण करा दिया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुमार सर्वजीत : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–31 : श्री अजय यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–32 : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स0वि0स0

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के आदापुर प्रखण्ड से गुजरने वाली पसाह नदी पर तटबंध रोधक कार्य एवं गाद सफाई का कार्य करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डी0पी0आर0 तैयार है और अगले वित्तीय वर्ष में जो पांच दिन बाद ही शुरू हो रहा है, उसमें यह काम शुरू करा देंगे। इसलिए अभी माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में काम करा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–33 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण के चकिया प्रखण्ड के जमुनिया पंचायत अंतर्गत खैरी घाट धनौती नदी में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल चकिया प्रखण्ड अंतर्गत जमुनिया पंचायत के खैरी घाट पर पुल निर्माण कार्य के नाम से मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के संचालन समिति से प्राप्त प्राथमिकता सूची के चकिया प्रखण्ड के क्रमांक 1 पर शामिल है । महोदय, प्राथमिकता के आधार पर पुल निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः हम माननीय सदस्य से चाहते हैं कि वे अपना संकल्प वापस लें।

अध्यक्ष : पुल निर्माण की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–34 : श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

अध्यक्ष : अमरजीत कुशवाहा जी, आप अधिकृत है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर रेल डिवीजन अंतर्गत नरकटियागंज–रक्सौल रेल खंड पर स्थित मजर्दवा स्टेशन पर मजर्दवागांव और बाजार को जोड़ने के लिए रेल ओवर फुट ब्रीज का निर्माण कराकर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर रेल डिवीजन अंतर्गत नरकटियागंज–रक्सौल रेल खंड पर स्थित मजर्दवा स्टेशन पर मजर्दवागांव और बाजार को जोड़ने के लिए रेल ओवर फुट ब्रीज का निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक– 1433 के आलोक में पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष : अब क्या बोलना है ? आपका प्रस्ताव मान लिया है, स्वीकृत हो गया है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मंत्री जी ने तो प्रस्ताव वापस लेने के लिए भी नहीं कहा ।

अध्यक्ष : इसमें जरूरत क्या है ? उनका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है । इसलिए मैं भी नहीं बोल रहा हूँ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सत्यदेव देव बाबू खाली समय बर्बाद करते हैं । जरा आप समय देखिये, अभी एक घंटा हुआ है ।

अध्यक्ष : अभी एक घंटा हुआ है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : एक घंटे में मात्र 31 ही गैर सरकारी संकल्प हुए हैं । एक गैर सरकारी संकल्प में औसतन दो मिनट लग रहा है । कुल गैर सरकारी संकल्प 144 है जिसमें 288 मिनट का समय मतलब 300 मिनट, पांच घंटे लग जायेंगे । रमजान का महीना है, 05:00–05:30 बजे तक सब लोगों को अपने–अपने निर्धारित स्थान पर जाना है । इसलिए निष्पादन गति तेजी की जाए।

(व्यवधान)

टर्न–9 / अभिनीत / 26.03.2025

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ।

<u>क्रमांक–35 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत चिरैया प्रखंड के आमगाछी से डिह महुआही रोड में सरौगढ़ पंचायत के सरसावा ग्राम में हाहवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनांतर्गत पूर्वी चंपारण जिला के जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची में चिरैया प्रखंड के क्रमांक–3 पर आमगाछी से डिह महुआही रोड में हाहवा नदी पर पुल निर्माण कार्य, पुल की लंबाई 60 मीटर है के नाम से शामिल है । इस पुल के निर्माण की कार्रवाई प्राथमिकता स्तर पर की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है माननीय मंत्री ने, क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : एक मिनट सर, वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–36 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

श्री रणविजय साहू : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कर्पूरी ग्राम ताजपुर से महुआ होते हुए भगवानपुर तक रेलवे लाईन स्थापित कराने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : महोदय, कर्पूरी ग्राम ताजपुर से महुआ होते हुए भगवानपुर तक रेलवे लाईन स्थापित कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक– 1985, दिनांक– 08.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : जरूरत नहीं है वापस लेने का, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है ।

श्री रणविजय साहू : महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, अब क्या बोलिएगा ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, माननीय लालू प्रसाद यादव के समय में सर्वे हुआ था..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए न, आपका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है । रणविजय जी, दूसरे की बात आप सुनते ही नहीं हैं, उन्होंने भेज दिया यही कह रही हैं ।

सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–37 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0

श्री जनक सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के एकमा, मांझी और लहलादपुर की जनता के हित में तीनों प्रखंडों को मिलाकर एकमा में एक अनुमंडल कार्यालय स्थापित करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें हमने पहले भी बताया है कि इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है कि जिला पदाधिकारी आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव भेजते हैं फिर यहां उस पर विचार होता है । अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, प्रस्ताव प्राप्त होगा तो विचार करेंगे । अभी जनक बाबू से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जनक सिंह : एस0डी0पी0ओ0 सदर–2, एकमा का पदस्थापना हो चुका है । 50 कि0मी0 दूरी पर एकमा है ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जनक सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–38 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड के अमझरशरीफ में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करावे ।''

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जाता है । इसके अंतर्गत एक अल्पसंख्याक बालक छात्रावास औरंगाबाद जिला मुख्यालय में चल रहा है । औरंगाबाद जिला में एक अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है । वर्तमान स्थिति के अनुसार राज्य योजनांतर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रस्ताव नहीं है । इसके आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, औरंगाबाद से हसपुरा की दूरी 35 कि0मी0 है । आग्रह होगा कि उसकी जांच करा लें ।

अध्यक्ष : दूरी की बात नहीं है, नियम ही नहीं है । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते ?

श्री भीम कुमार सिंह : जी, मंत्री जी जांच करा लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–39 : श्री रामवृक्ष सदा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–40 : श्रीमती संगीता कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती संगीता कुमारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के मोहनियां प्रखंड अंतर्गत भिट्ठी ग्राम के सामने रेलवे ट्रैक पोल संख्या–610/19 ए–610/20 के बीच में रोड ओवर ब्रिज/अंडर पास का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश करे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : महोदय, कैमूर जिला के मोहनियां प्रखंड अंतर्गत भिट्ठी ग्राम के सामने रेलवे ट्रैक पोल संख्या–610/19 ए–610/20 के बीच में रोड ओवर ब्रिज/अंडर पास का निर्माण कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक– 2352, दिनांक– 19.03.2025 द्वारा निमयमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–41 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–42 : श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0

श्रीमती रेखा देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलांतर्गत धनरूआ प्रखंड के ग्राम रेड़विगहा के पास कड़रूआ नदी में छिलका एवं कैनाल का जीर्णोद्धार करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह जीर्णोद्धार कार्य तो चल रहा है । प्रगति लगभग 90 प्रतिशत है, शेष 10 प्रतिशत भी शीघ्र करवा दिया जायेगा । अभी रेखा जी प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती रेखा देवी : महोदय, मैं आपके माध्यम से अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–43 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत मधुबनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पी0सी0सी0 पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–1819 एवं 1820, दिनांक–03.10.2024 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर पथ का निर्माण करावे ।''

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, नगर आयुक्त, नगर निगम मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल मधुबनी के कार्यालय पत्रांक– 1024, दिनांक–21.07.2023 द्वारा मधुबनी निगम क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले कुल सात पथों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी । उक्त पत्र के आलोक में नगर निगम, मधुबनी के कार्यालय पत्रांक–1307, दिनांक–24.07.2023 द्वारा सभी सात पथों के निर्माण हेतु अनापत्ति

प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है । कार्यालय पत्रांक– 1452, दिनांक– 21.08.2023 एवं पत्रांक–1528, दिनांक– 09.09.2025 के द्वारा पुनः सात पथों में से दो पथों यथा सिंघानिया चौक से स्टेडियम चौक, महाराजगंज गांधी चौक से सुरी हाई स्कूल तथा आर0के0 कॉलेज मेन गेट से लोहरसाड़ी चौक से किशोरीलाल चौक होते हुए संटू नगर चौक से भुवना उद्यान तक सड़क एवं नाला निर्माण के लिए एन0ओ0सी0 निर्गत किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि नगर निकाय क्षेत्रों के 6 मीटर से अधिक चौड़ी तथा आधा किलोमीटर से अधिक लंबे पथों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव नगर निगम के पत्रांक–903, दिनांक– 06.09.2022 एवं पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना 1540, दिनांक–25.02.2020 के आलोक में पथ निर्माण विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग, तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के उपरांत पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग के स्तर से भेजे गये प्रस्ताव डी0पी0आर0 पर प्रशासनिक स्वीकृति का मामला पथ निर्माण विभाग से संबंधित है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी के जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : सर, मिला तो कुछ नहीं, यह तो बस जवाब है ।

अध्यक्ष : इन्होंने तो दे दिया न । जितनी स्वीकृति इनको देनी थी, इन्होंने तो एन0ओ0सी0 दे दिया । अब जिस विभाग में गया है वहां प्रश्न कीजिए । आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–44 : श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल', स0वि0स0</u>

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत विस्फी प्रखंड के कमलाबारी में धौस नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

टर्न–10 / हेमन्त / 26.03.2025

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ अवस्थित बसावट कमलाबाड़ी पश्चिमी की सम्पर्कता पीएमजीएसवाई अन्तर्गत निर्मित पथ टी–03 कमलाबाड़ी टोला तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट कमलाबाड़ी पूर्व भाग की सम्पर्कता एमएमजीएसवाई अन्तर्गत निर्मित पथ बलाहा घाट से कमलाबाड़ी पूर्वी पथ से प्राप्त है ।

विस्थापित पुल के अप स्ट्रीम में 1.5 किमी की दूरी पर एवं डाऊन स्ट्रीम में 2.0 किमी की दूरी पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा पुल निर्माण संबंधित जिला संचालन समिति से भी प्राप्त प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है । अगले वित्तीय वर्ष में पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'' : जी । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–45 : डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता, स0वि0स0

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छपरा–पाटलिपुत्र एवं पाटलिपुत्र–छपरा स्टेशन जाने आने हेतु ट्रेन की व्यवस्था एवं छपरा ग्रामीण स्टेशन पर ठहराव की व्यवस्था करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा–पाटलिपुत्र एवं पाटलिपुत्र–छपरा स्टेशन जाने आने हेतु ट्रेन की व्यवस्था एवं छपरा ग्रामीण स्टेशन पर ठहराव की व्यवस्था कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1988, दिनांक–08.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व–मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–46 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के गृह रक्षक, बिहार पुलिस के साथ मिलकर कंधे–से–कंधा मिलाकर अपनी सेवा देते हैं । माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के न्याय निर्णय के आलोक में राज्य के गृह रक्षकों को भी पुलिस के समान ही महंगाई, आवास, परिवहन भत्ता सहित अन्य सुविधाएं दिलावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिहार राज्य के गृह रक्षक स्वयंसेवक होते हैं, वह नियमित वेतन भोगी कर्मी नहीं हैं । गृह रक्षकों के द्वारा संपन्न किये जा रहे

कार्यों को देखते हुए समय–समय पर गृह रक्षक एवं उनके परिवार के आश्रितों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं । वर्तमान में गृह रक्षक एवं उनके परिवार के आश्रितों को निम्न सुविधाएं दी जा रही हैं–

1. गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–9989, दिनांक–06.11.2018 के द्वारा गृह रक्षकों का खर्चा भत्ता 400 रुपये । प्रत्येक दिवस प्रति गृह रक्षक से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन न्यूनतम वेतन के अनुरूप 774 रुपये किया गया है ।

2. गृह रक्षकों को प्रति दो वर्ष पर दस हजार रूपये वर्दी भत्ता का भुगतान किया जाता है ।

3. दस वर्षों से कार्य दिवस पूर्ण कर चुके गृह रक्षकों की सेवानिवृत्ति के उपरांत एकमुश्त 1.5 लाख रूपये का सेवानिवृत्त अनुदान भुगतान किया जाता है ।

4. कर्तव्य के दौरान बीमार, दुर्घटना होने पर उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति देय है ।

5. गृह विभाग, बिहार शाखा के संकल्प संख्या–7381, दिनांक–03.07.2015 के द्वारा कर्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को एक लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान राशि को बढ़ाकर चार लाख रूपये किया गया है ।

6. कर्तव्य के दौरान उग्रवादी हिंसा, हिंसक गतिविधियों के क्रम में मृतक गृह रक्षकों के आश्रितों को दस लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जाता है ।

7. कर्तव्य के दौरान मृत, अपंग गृह रक्षकों के सुयोग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी हेतु नामांकित किया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है । इस क्रम में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, अपनी रजामंदी का इशारा दे दीजिए, थोड़ा संरक्षण और सहारा दे दीजिए ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय,

''दिल है, तो दिल में अरमान होना चाहिए,
सेवादार है, तो मलिकार पर गुमान होना चाहिए,
हम आपसे नहीं कहें, तो कहें किनको,
बिहार में गृह रक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए।''

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : जी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–47 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–48 : श्री रामसूरत कुमार, स0वि0स0

श्री रामसूरत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मुजफ्फरपुर में प्रखंड औराई एवं कटरा में बागमती परियोजना बांध बनने के कारण बेघर हुए भूमिहीन परिवार जो आज तक दोनों तटबंध के किनारे एवं बांध पर झोपड़ी बनाकर गुजर–बसर कर रहे हैं, को चिन्हित कर उक्त सभी भूमिहीनों को अविलंब पुनर्वासित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समाहर्ता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि बागमती परियोजना अंतर्गत औराई विधान सभा के प्रखंड औराई एवं कटरा में तटबंध बनाने का कार्य चल रहा है, भू अर्जन की कार्रवाई अभी भी चल रही है । औराई ग्राम अंतर्गत ग्राम बेनीपुर के विस्थापित परिवारों को ग्राम बहुरवा एवं ग्राम बसंत उमापत में पुनर्वासित भी किया गया है । यह कार्य तात्कालिक पुनर्वास योजना सीतामढ़ी एवं विशेष भू अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर कार्यालय द्वारा किया जाता था, किंतु कालांतर में उस कार्यालय के विघटन के फलस्वरूप विस्थापितों के पुनर्वासन एवं व्यवस्थापन का कार्य पूर्णरूपेण नहीं किया जा सका । बागमती के दोनों तटबंधों के सुदृढ़ीकरण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है । बागमती योजना अंतर्गत विस्थापित परिवारों को पुनर्वासन हेतु बिहार रैयती सतत लीज नीति, 2014 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामसूरत कुमार : सर, यह जो उत्तर मिला है..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामसूरत कुमार : माननीय मंत्री जी, जो बताये हैं...

अध्यक्ष : आप दो–दो विभाग के मंत्री रहे हैं । इस चक्कर में सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री रामसूरत कुमार : विभाग ने उत्तर गलत दिया है ।

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामसूरत कुमार : संकल्प तो वापस लेना ही है । लेकिन विभाग ने उत्तर गलत दिलवाया है मंत्री जी से ।

अध्यक्ष : मिलकर बात कर लीजिए न । दोनों आदमी विभाग के मंत्री रहे हैं ।

सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–49 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी विधान सभा क्षेत्र के चकमका से रमजानी तक जे0बी0 नहर के कैनाल में लाइनिंग का पक्कीकरण सहित बांध के ऊपर सुगम यातायात हेतु सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : मंत्री जी आयेंगे, तो जवाब देंगे ।

क्रमांक–50 : श्रीमती मनोरमा देवी, स0वि0स0

श्रीमती मनोरमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला अंतर्गत 22 हजार की आबादी वाले बेलागंज बाजार/पंचायत को नगरीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगर पंचायत बेलागंज सृजित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए 20 में पत्र गया है । जिलाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद पर इस पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं?

गया है, आयेगा तो विचार किया जायेगा ।

श्रीमती मनोरमा देवी : जी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–51 : श्री अमन भूषण हजारी, स0वि0स0

श्री अमन भूषण हजारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अन्तर्गत कुशेश्वर स्थान विधान सभा क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान नगर पंचायत के रामपुर रौत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कुशेश्वर स्थान प्रखंड के नगर पंचायत रामपुर रौत में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित करते हुए नये भवन का निर्माण कराया जा चुका है एवं उक्त भवन की स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जा रही हैं । उक्त स्वास्थ्य केंद्र के सुगम संचालन हेतु मानक के अनुरूप चिकित्सा कर्मियों के पदसृजन की कार्रवाई विचाराधीन है ।

अतएव प्रश्नगत पंचायत से अलग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किये जाने की कोई योजना नहीं है और.....

टर्न–11 / धिरेन्द्र / 26.03.2025

....क्रमशः....

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, चूंकि पोस्ट क्रियेट होती है और फिर पोस्ट किया जाता है कैबिनेट से....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नहीं है उसको धीरे से बोलना चाहिए । बाकी जो योजना है उसको जोर से बोलना चाहिए ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, बोल दिये हैं । अलग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । वह एक्चुअली, हमलोग वहां नया भवन बनाकर दे दिये हैं । इसलिए माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमन भूषण हजारी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । आज...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है । पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री अमन भूषण हजारी : महोदय, इनको याद है कि भवन वहां पर है....

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमन भूषण हजारी : महोदय, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है । माननीय मंत्री महोदय को हम कई बार बोले भी हैं....

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमन भूषण हजारी : जी महोदय, हम चाहते हैं कि....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–52 : डॉ॰ रामानुज प्रसाद, स॰वि॰स॰</u>

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर प्रखण्ड अंतर्गत हरदिया चवर से गोला बाजार रेलवे पुल–पहाड़ीचक–माही नदी होते हुए गंडक नदी तक मुगल कैनाल की उड़ाही करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आयेंगे मंत्री तो जवाब देंगे, वहां गए हैं । आ ही गए हैं । आ गए हैं तो जवाब दे दीजिए रामानुज जी का । एक और माननीय सदस्य का पेंडिंग है आपके यहां । दो माननीय सदस्य का जवाब देना है – एक कृष्ण कुमार ऋषि जी का और रामानुज प्रसाद जी का । क्रमांक–49 और 52 ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है, हमलोग सारण जिला का एक समेकित योजना बना रहे हैं जिसमें जल निस्सरण और पुराने जो नाले हैं उनकी सफाई से लेकर बाढ़ प्रबंधन तीनों की योजना समेकित है और उसमें आपकी योजना भी सम्मिलित है, डी॰पी॰आर॰ बन रही है । इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है । उसके आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का यही जवाब हमेशा आ रहा है । तीन–चार बार से....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो सच्चाई रहेगा वही न बोला जायेगा बार–बार । गलत जवाब कैसे देंगे ?

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं समय–सीमा दे दें कि यह कब होगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी तो कह रहे हैं कि वे कर रहे हैं ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी तो हमलोगों के लोग हैं । हम ही लोगों की तरफ थे....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : महोदय, वैसे माननीय मंत्री जी हम ही लोगों के लोग हैं....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : महोदय, और कहीं चले गए हैं तो कुछ तो हमलोगों का ख्याल रखें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी का बता दीजिये । क्रमांक–49 ।

<u>क्रमांक–49 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स॰वि॰स॰</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें जो पूर्वी कोसी नहर प्रणाली है इसके संपूर्ण प्रणाली के पुनर्स्थापन की योजना हमलोग बना ली है और इसमें भारत सरकार भी मदद करने के लिए तैयार है और उसमें माननीय सदस्य को ज्ञात है कि इन्होंने जिस प्रश्न को उठाया है वह भी सम्मिलित है । हमलोग इस पर काम कर रहे हैं । इसलिए इनसे आग्रह है कि संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : जी महोदय, वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–53 : श्री विद्या सागर केशरी, स॰वि॰स॰

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव जी को प्राधिकृत किया गया है । जय प्रकाश जी, पढ़िये । प्रस्ताव पेश कीजिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में रमई पंचायत के घोड़ाघाट गांव में परमान नदी के डहरा पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित अररिया जिला के फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में रमई पंचायत के घोड़ाघाट गांव में परमान नदी के डहरा घाट पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु जिला संचालन समिति, अररिया द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक–90 पर अंकित है । प्राथमिकतानुसार स्वीकृति के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर निविदा के माध्यम से पुल निर्माण कार्य करा दिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूँ । बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है, यह तीन विधान सभा क्षेत्र से आती है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । आपका करा दिया जायेगा उसके बाद भी आप बोलते हैं । बैठ जाइये ।

क्रमांक–54 : श्री निरंजन कुमार मेहता, स॰वि॰स॰

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा अन्तर्गत ग्वालापाड़ा प्रखंड के पीरनगर पंचायत के अमौजा गांव में राधाकृष्ण मंदिर से बिजुलीया में निर्मित उच्चस्तरीय पुल (सहरसा बोर्डर) तक जमीन खरीद कर सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ एम॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, आर॰ई॰ओ॰ रोड से बलिया मौजा पथ के अमौजा गांव से शुरू होकर सहरसा जिला के बॉर्डर बिजुलीया पुल तक जाती है । पथ में अमौजा गांव है जो एम॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं बिजुलीया को सहरसा जिला

के पथ से संपर्कता प्राप्त है । इसलिए अमौजा से बिजुलीया के बीच जिला का सीमा पगडंडी रास्ता प्राइवेट जमीन है जिसमें किसी प्रकार की आबादी नहीं रहने के कारण विभाग के किसी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है जिससे पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा विचार करने की जरूरत है । यह महत्वपूर्ण सड़क है, मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय विचार करें। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–55 : श्री सत्यदेव राम, स॰वि॰स॰</u>

श्री सत्यदेव राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला सिवान के गुठनी प्रखण्ड जिला मुख्यालय से चालीस किलोमीटर दूर यूपी बॉर्डर पर अवस्थित है, सभी पंचायतों में इंटर कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा गुठनी प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं है तथा गुठनी प्रखण्ड में शिक्षा विभाग की जमीन भी उपलब्ध है गुठनी प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज निर्माण हेतु सरकार स्वीकृति प्रदान करे ।''

अध्यक्ष : आप पढ़ने समय धीमा–धीमा क्यों पढ़ते हैं और बोलने समय तेज बोलते हैं । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधान मंडलीय सत्र के बजट संबोधन में सभी प्रखण्डों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं तो गुठनी के लिए, गुठनी की घोषणा कर दीजिये ।

अध्यक्ष : सबका कर रहे हैं तो उसमें क्या है, गुठनी कोई अलग प्रखंड है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–56 : श्री विजय सिंह, स॰वि॰स॰

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत सेमापुर में अंचल कार्यालय नहीं होने के कारण लाखों लोगों को 20 कि॰मी॰ की दूरी तय कर बरारी अंचल जाना पड़ता है । सरकार सेमापुर में अंचल कार्यालय का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समाहर्ता, कटिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल कार्यालय बरारी से सेमापुर की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है जहाँ से रैयतों के आने–जाने हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध है । अंचल से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं रैयतों को सुचारू रूप से दी जाती है एवं रैयतों की सुविधा के लिए नियमित रूप से राजस्व कर्मचारी पंचायत में उपस्थित हो कर कार्य करते हैं । अतएव, सेमापुर में किसी नये अंचल कार्यालय की स्थापना सरकार स्तर पर संप्रति विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : विचाराधीन नहीं है । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, नया प्रखंड बने तो प्राथमिकता दी जाय । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–57 : श्री विनय कुमार, स॰वि॰स॰

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला गुरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत डुब्बा पंचायत में दुर्वाज्ञा नगरी मोक्ष धाम भूरहा में आजादी के पूर्व से निर्मित सकीर्ण तथा जर्जर पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलांतर्गत प्रश्नगत पुल रफीगंज, कसमा, गौवा, भरौत पथ से 25वें किलोमीटर में अवस्थित है जिसकी चौड़ाई 03 मीटर है । संसाधन की उपलब्धता के आधार पर नये पुल के निर्माण का प्रस्ताव अगले वित्तीय वर्ष में लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में लिया जायेगा । बैठ जाइये ।

श्री विनय कुमार : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है । रोड भी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगले वित्तीय वर्ष में लिया जायेगा, इसके बाद भी कोई सवाल बचता है क्या ?

श्री विनय कुमार : महोदय, बोला गया है कि संसाधन, तो कब संसाधन उपलब्ध होगा ?

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार : महोदय, हम तो ले ही लेंगे लेकिन यह पुल....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–58 : श्री राजेश कुमार, स॰वि॰स॰

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न–12 / संगीता / 26.03.2025

क्रमांक–59 : श्री अवध विहारी चौधरी, स0वि0स0

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीवान जिला के कचहरी रेल स्टेशन पर आर0ओ0बी0 नहीं रहने के कारण देवरिया, गुठनी, मैरवा से सीवान मुख्यालय में काफी जाम से निजात हेतु सीवान कचहरी स्टेशन से आने–जाने के लिए आर0ओ0बी0 का निर्माण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिला के कचहरी रेल स्टेशन पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–2392 दिनांक–18.03.2025 के द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : स्वीकृत हुआ प्रस्ताव । अवध विहारी बाबू बात कर लिए थे क्या मंत्री जी से, स्वीकृत कर दिए तुरंत ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, प्रस्ताव तो वापस ले ही लेना है ।

अध्यक्ष : लेना नहीं है, स्वीकृत हो गया । अब प्रस्ताव वापस लेने की जरूरत ही नहीं है।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं अपनी तरफ से और सीवान की जनता की तरफ से बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं ।

क्रमांक–60 : सुश्री श्रेयसी सिंह, स0वि0स0

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के जमुई जिला अंतर्गत जमुई–लक्ष्मीपुर मार्ग (मलयपुर होते हुए) मलयपुर रेल फाटक संख्या–46A / 3T पर अंडरपास / रेल ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण ट्रैफिक जाम की घनघोर समस्या के निवारण स्वरूप उक्त स्थान पर रेल अंडरपास अथवा रेल ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने की शीघ्र कार्रवाई करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के जमुई जिला अंतर्गत जमुई–लक्ष्मीपुर मार्ग (मलयपुर होते हुए) मलयपुर रेल फाटक संख्या–46A/3T पर अंडरपास/रेल ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण ट्रैफिक जाम की घनघोर समस्या के निवारण स्वरूप उक्त स्थान पर रेल अंडरपास अथवा रेल ओवर ब्रिज के निर्माण कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2110, दिनांक–11.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेने की जरूरत नहीं है, स्वीकृत हो गया ।

क्रमांक–61 : श्री विश्वनाथ राम, स0वि0स0

श्री विश्वनाथ राम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला के राजपुर विधान सभा अन्तर्गत धनसोई बाजार प्रखण्ड बनाने की सभी अहर्ता को पूरा करता है, पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा धनसोई सहित अगल–बगल 11 पंचायतों को लेकर प्रखण्ड बनाने की घोषणा की गई थी, पर अभी तक नहीं बना, सरकार धनसोई को प्रखण्ड का दर्जा दिलावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, बक्सर से राजपुर प्रखंड के धनसोई बाजार को नए प्रखण्ड का दर्जा दिए जाने के संबंध में प्रखण्ड सृजन के औचित्य सहित स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के जवाब के आलोक में क्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री विश्वनाथ राम : महोदय, कब तक होगा पता ही नहीं चलता है ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विश्वनाथ राम : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री मोहम्मद कामरान ।

क्रमांक–62 : श्री मोहम्मद कामरान, स0वि0स0

अध्यक्ष : रणविजय जी पढ़िए, प्रस्ताव करिए ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला के रोह प्रखंड को रजौली अनुमंडल से अधिक दूरी को ध्यान में रख कर कम दूरी वाले नवादा अनुमंडल में शामिल करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमने जिला पदाधिकारी से आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव मांगा है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकारी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रणविजय साहू : महोदय, रजौली अनुमंडल से रोह ब्लॉक की दूरी 60 किलोमीटर है ।

अध्यक्ष : वह तो हो गया, सरकार ने बताया, मांगा है । आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रणविजय साहू : महोदय, आप कहेंगे तो मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–63 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड केवटी के मुख्यालय भवन अत्यंत जर्जर एवं पूर्णतः जीर्ण होने के कारण हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, केवटी प्रखंड मुख्यालय का भवन निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा कुल 241 जर्जर अथवा गैर–मरम्मति योग्य कार्यालय भवन के स्थान पर नए प्रखण्ड–सह–अंचल भवन कार्यालय भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । इसमें दरभंगा जिला का केवटी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय का निर्माण भी शामिल है । जिसके लिए कुल राशि 16.621 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है । प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त प्रखण्डों में प्रखंड अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक संख्या–3689694 दिनांक–11.02.2025 से भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुरारी मोहन झा : बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं मंत्री महोदय को ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–64 : श्री राजवंशी महतो, स0वि0स0

श्री राजवंशी महतो : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के चेरियाबरियारपुर विधान सभा में बाढ़ के समय समस्तीपुर के तरफ से पानी आ जाने के कारण प्रतिवर्ष प्रखण्ड चेरियाबरियारपुर, प्रखण्ड छौड़ाही एवं प्रखण्ड खोदावनपुर में जल–जमाव हो जाता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाता है, सरकार बाढ़ के पानी को कॉवर झील में गिराकर जल–जमाव से मुक्त करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर से पानी आता है यह तो स्वाभाविक है, राजवंशी जी को मालूम है कि जितनी नदी समस्तीपुर से आती है सब बेगूसराय होकर ही गंडक या गंगा में मिलती है लेकिन आपने जो कहा है, एक नाला है जिससे कॉवर झील में जाता था, उसमें गाद जमा है । हम अगले वित्तीय वर्ष में उसकी उड़ाही करा देंगे, जल निकासी हो जाएगा ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजवंशी महतो : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–65 : श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स0वि0स0

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अन्तर्गत चाँदपरना पंचायत में बूढ़ी गंडक नदी पर चाँदपरना और बहादुरपुर के बीच पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस पुल की चर्चा की है, उस पुल के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है, तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । चार बार अभी तक डी0पी0आर0 तैयार हो चुका है...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से चाहेंगे कि वे समय–सीमा बता दें कि कब तक होगा । चार बार डी0पी0आर0 तैयार हो चुका है उसका ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : लंबे समय तक आप ही के पास ग्रामीण कार्य विभाग था तब तो अपना पुल बनाए नहीं अब माननीय नेता 9 साल के बाद ग्रामीण सेतु योजना चालू किए तो आपका बनवा देंगे कह तो रहे हैं ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं कि पुट करें ?

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, समय–सीमा बता दिया जाय ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : यह चाँदपरना पुल बहुत इम्पोर्टेंट पुल है सर, वहां का लाइफलाइन है वह ।

अध्यक्ष : जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हाँ कहें...

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : आप कहेंगे तो मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–66 : श्री शाहनवाज, स0वि0स0</u>

श्री शाहनवाज : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 3724 दिनांक–18.07.2023 के आलोक में अररिया जिला में वर्ष 2023–24 में अभियंता अररिया द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों को पुनर्स्थापना एवं मरम्मति कार्य मद में संवेदकों को भुगतान नहीं कराया गया है, उक्त वर्ष में पथों की पुनर्स्थापना एवं मरम्मति कार्य अररिया जिला के संवेदकों का भुगतान करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्ताव है कि विभागीय पत्रांक–3624 दिनांक–18.07.2023 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को वर्ष 2023–24 के बाद क्षतिग्रस्त पथों के स्थायी पुनर्स्थापन एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है । दिशा–निर्देश के अनुसार बाढ़ के दौरान बाढ़ का जलस्तर घटने के उपरान्त वास्तविक कटाव क्षतिग्रस्त तथा मोटरेबल कार्य कराए जाने के उपरान्त टाईम स्पैन, जियो टैग, ड्रोन विडियोग्राफी, विभागीय एम0आई0एस0, एफ0डी0आर0 मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाना है । साथ ही, एफ0डी0आर0 के ए0टी0आर0 मॉड्यूल में कराए गए कार्य की मापी पुस्त एवं कार्य के तकनीकी अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति की प्रति भी अपलोड किया जाना है ।

(क्रमशः)

टर्न–13 / सुरज / 26.03.2025

(क्रमशः)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अररिया जिलान्तर्गत 2023–24 में स्टेज–3 अर्थात पथ में किये गये स्थायी पुनर्स्थापन कार्य के बाद का ड्रोन विडियोग्राफी एम0आई0एस0 के एफ0डी0आर0 माड्यूल में अपलोड किया गया है जो कि विभागीय पत्रांक–3724 के अनुरूप नहीं होने के कारण इन पथों में बाढ़ से हुई क्षति का मूल्यांकन की जांच प्रक्रियाधीन है । जांचोपरांत बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों से स्थायी पुनर्स्थापन कार्य का मूल्यांकन संबंधी कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री शाहनवाज : जी महोदय, वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–67 : श्री राणा रणधीर, स0वि0स0

श्री राणा रणधीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड के सुन्दरपट्टी पंचायत के कोरल ग्राम के वार्ड–06 में बांध (ढ़ाला) पर से गांव जाने वाली सड़क में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल कोरल ग्राम के वार्ड नंबर–06 में बांध (ढ़ाला) से निकलने वाली पथ के आरेखन पर पड़ता है । यह आरेखन कोरल ग्राम का आंतरिक भाग है । पूर्वी चंपारण जिला के मुख्यमंत्री सेतु योजनान्तर्गत जिला संचालन समिति से प्राप्त प्राथमिकता सूची में पुल शामिल नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें।

श्री राणा रणधीर : इसको भी ले लीजियेगा । आश्वासन दे दीजिये, छूट गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री राणा रणधीर : संकल्प वापस ले लूंगा इस उम्मीद से कि माननीय मंत्री जी इसको ले लेंगे।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–68 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के भैयापट्टी में वछराजा नदी पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित ध्वस्त स्लूईस गेट की जगह नया स्लूईस गेट का निर्माण कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करावे ।''

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी के भैयापट्टी में वछराजा नदी पर ध्वस्त स्लूईस गेट का निर्माण कार्य प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता में अगले वित्तीय वर्ष में करायी जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, केवल अगले वित्तीय वर्ष के अर्ध वर्ष में करा दें, छमाही में...

अध्यक्ष : क्या संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–69 : श्री आनन्द शंकर सिंह, स0वि0स0

श्री आनन्द शंकर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के सम्पूर्ण विकास एवं वहां की जनता को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिये औरंगाबाद में हवाई अड्डा का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तो कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन भारत सरकार ने कुछ ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने में मदद देने का आश्वासन दिया है, उसमें औरंगाबाद में हवाई अड्डा की क्या संभावना बन सकती है यह तलाश करने के लिये बिहार सरकार लिखेगी । इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि अभी अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, सकारात्मक जवाब में तो सकारात्मक रूप से देखें औरंगाबाद को भी । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–70 : श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–71 : श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0

श्री तारकिशोर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत पूर्णिया कटिहार नरेनपुर फोरलेन जो दलन चौक से अंबेडकर चौक, अमर जवान चौक बरमसिया, ललियाही गौशाला एवं हवाई अड्डा होते हुये किसान चौक उदमा रखा तक जाती है, के जीर्ण–शीर्ण अवशेष कटिहार–पूर्णिया पथ पुराने संरेखन (Alignment) एन0एच0–131A पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ एन0एच0–131A के पुराने संरेखन पर जाने के कारण लेफ्टआउट पोर्सन के रूप में एन0एच0ए0आई0 द्वारा पथ प्रमंडल, कटिहार को हस्तगत हेतु पत्र निर्गत है। वर्तमान में इस पथ की लंबाई 14 किलोमीटर और चौड़ाई 07 किलोमीटर है । इस पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी है । कई स्थानों पर पथ फ्लैंक का एज ड्रॉप रहने के कारण फ्लैंक मानक के अनुरूप नहीं है । इसके हस्तांतरण होने के उपरांत इसके चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर विचार किया जा सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–72 : श्रीमती नीतु कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती नीतु कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला के पुलिस अनुमण्डल हिसुआ में नरहट अंचल–सह–प्रखंड को शामिल करते हुये हिसुआ को राजस्व अनुमंडल का भी दर्जा प्रदान करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कई संकल्पों के क्रम में बताया है कि अनुमंडल या जिला बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है कि जिला पदाधिकारी, आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव भेजते हैं । फिर यहां सचिवों की एक अन्तर्विभागीय कमेटी है, वह उसकी पड़ताल करती है फिर उस पर सरकार निर्णय लेती है । इसमें अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है । इस प्रक्रिया से अगर यह प्रस्ताव आता है तो सरकार विचार करेगी । अभी माननीय सदस्या अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्या अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, नरहट से हिसुआ मात्र 07 किलोमीटर की दूरी पर है...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती नीतु कुमारी : जी महोदय, प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–74 : श्री मिश्री लाल यादव, स0वि0स0

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में पंचायती राज के जिला परिषद् अध्यक्ष एवं प्रखंड प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा मतदान से कराने की व्यवस्था लागू करावे ।''

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निदेश के अधीन बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 40 एवं 67 में अंकित प्रावधान के अनुसार पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य एवं जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य यथाशीघ्र अपने सदस्य में से क्रमशः प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष चुनेंगे । प्रखंड प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा मतदान से कराने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है इसलिये क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है, मेंबर की खरीद–फरोख्त अधिक होती है । दस से पांच लाख...

अध्यक्ष : अभी प्रस्ताव नहीं है तो क्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : इसलिये जनता के मतदान द्वारा चुनाव कराया जाए ।

अध्यक्ष : क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्रील लाल यादव : सर का जो इजाजत होगा वह तो करना ही है लेकिन सर का संरक्षण...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–75 : श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0

श्री अरूण कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र विज्ञान केन्द्र, पटना के पश्चिमी एवं दक्षिणी कोने में स्थित खाली पड़े भूमि को अस्पताल को हस्तांतरित कर मरीजों तथा उनके परिजनों के रहने हेतु भवन एवं गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था करावे ।''

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र विज्ञान केन्द्र, पटना के पश्चिमी एवं दक्षिणी कोने में स्थित खाली पड़े भूमि को मरीजों

तथा उनके परिजनों के रहने हेतु भवन एवं गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था के लिये उपलब्ध कराने का संबंधित अस्पताल से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है । पटना नगर निगम, पटना के माध्यम से यदि अस्पताल से प्रस्ताव प्राप्त होता है तो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के संगत प्रावधानों के तहत नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : जी महोदय, संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–76 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड में बंद पड़े चनपटिया चीनी मिल को चालू करावे ।''

श्री कृष्णनंदन पासवान, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया चीनी मिल भारत सरकार, कपड़ा मंत्रालय का एक उपक्रम है जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपेरेशन ग्रुप की एक इकाई है । वर्ष 1994 से यह इकाई रूग्न होकर बंद है । औद्योगिक और पुनर्निमाण बोर्ड के सिफारिश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इकाई के परिसमापन को आदेश दिया गया है । नीलामी के माध्यम से उच्चतम बोलीदाता द्वारा चनपटिया चीनी मिल को खरीदा गया था । बोली की राशि जमा नहीं कराने के कारण नीलामी निरस्त कर दी गयी । वर्तमान में इस इकाई का मामला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अपील–1057/2001 विष्णुकांत गुप्ता बनाम ऑफिशियल लिक्यूडेटर लंबित है । इस चीनी मिल के परिचालन हेतु राज्य सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

टर्न–14/राहुल/26.03.2025

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है । क्या इस आलोक में अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आग्रह है कि बिहार सरकार माननीय उच्च न्यायालय में चनपटिया चीनी मिल को चालू करने के मामले में अपील करे । आग्रह है कि चनपटिया चीनी मिल को चालू कर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान...

अध्यक्ष : सरकार ने आपकी बात सुनी है । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?
श्री उमाकांत सिंह : वापस तो लेंगे ही...
अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–77 : श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलांतर्गत अलीगंज प्रखंड से जिला जमुई मुख्यालय 50 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और सिकन्दरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर सिकन्दरा और अलीगंज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कोई डिग्री कॉलेज नहीं है । सरकार अलीगंज या सिकन्दरा में डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सत्र में ही बजट संबोधन में सभी प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : आश्वासन के साथ प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–78 : श्री राम प्रवेश राय, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री उमाकांत जी प्राधिकृत हैं ।

(प्राधिकृत माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–80 : श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गुरू रविदास का, जिसने रविदासिया पंथ की स्थापना की, जाति प्रथा उन्मूलन में प्रयास तथा समतामूलक समाज बनाये जाने पर जोर दिये तथा नशा मुक्त समाज बनाने का भी संदेश दिया उनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय छुट्टी और राष्ट्रीय समारोह दिवस घोषित करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार ने तो पूर्व से ही इसका संज्ञान लेकर रविदास जी की जन्मतिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रखा है । माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उनका जन्मदिन है जो अभी तुरंत 12 फरवरी को बीता है, उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है और उस दिन बिहार सरकार

के अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग में एक बड़ा कार्यक्रम भी राज्य पैमाने पर किया था तो सरकार पहले से सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित करके समारोह कर रही है इसलिए आप अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यहां से प्रस्ताव भेजने का है राष्ट्रीय स्तर पर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य गोपाल रविदास जी ।

(व्यवधान)

अरे भाई पढ़ा–लिखा जवाब है, टेबल उलटना खाली जानते हो, पढ़ते ही नहीं हो ?

श्री गोपाल रविदास : महोदय, सुन लिया जाय, मेरा प्रस्ताव राज्य सरकार से है कि राष्ट्रीय सरकार को भेजे, इसको भेजने में क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं, सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में ?

श्री गोपाल रविदास : राज्य सरकार यहां से प्रस्ताव भेजने में क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष : आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गोपाल रविदास : नहीं महोदय । प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गुरू रविदास का, जिसने रविदासिया पंथ की स्थापना की, जाति प्रथा उन्मूलन में प्रयास तथा समतामूलक समाज बनाये जाने पर जोर दिये तथा नशा मुक्त समाज बनाने का भी संदेश दिया उनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय छुट्टी और राष्ट्रीय समारोह दिवस घोषित करावे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–81 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बाजपट्टी टावर चौक से कुंभ जाने वाली पथ से शिकाऊ नदी पर स्थित संर्कीण एवं जर्जर पुल की जगह पर नया हाईलेवल पुल का निर्माण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विषयगत पुल सीतामढ़ी जिले अंतर्गत रसलपुर–बाजपट्टी–गाढ़ा पथ (0.00 कि0मी0 से 20.50 कि0मी0) के 20वें कि0मी0 पर अवस्थित है । स्क्रू पाईल की लंबाई 39.00 मी0 एवं चौड़ाई 3.75 मी0 है । तकनकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप नया हाईलेवल पुल निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पहले भी तकनीकी स्वीकृति होकर यहां आया हुआ था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में भी इसका प्रस्ताव दिये थे...

अध्यक्ष : तब क्यों कर रहे हैं ? संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुकेश कुमार यादव : प्रस्ताव तो लेंगे ही...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–82 : श्री सतीश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–83 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला में 2012 से क्रेशर मशीन बंद होने से लाखों गरीब परिवार बेरोजगार एवं भुखमरी के कगार पर आ गया है, जबकि उक्त स्थान पर 72 एकड़ माइन्स का पहाड़ भी उपलब्ध है । सरकार जिले में बंद क्रेशर मशील चालू कराकर गरीब परिवार को रोजगार दिलावे ।''

अध्यक्ष : अभी माननीय मंत्री जी हैं नहीं । इसको कल करेंगे ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : कल होगा ?

अध्यक्ष : बैठिये । कल करेंगे ।

(व्यवधान)

कहां रहते हैं ? सदन में रहा करिये और सदन के निर्णय को गौर से सुना करिये । पूछ लीजिये बगल में अवध विहारी बाबू से, बतायेंगे ।

क्रमांक–84 : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : राणा रणधीर जी, पूछिये ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गोपाल चौक से गोला रोड होते हुए गांगी पुल तक फ्लाई ओवर का निर्माण करावे ।''

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलांतर्गत प्रश्नगत गोपाल चौक से गोला रोड होते हुए गांगी पुल तक फ्लाई ओवर पुल के निर्माण पर तकनीकी संभाव्यता एवं संसाधन की उपलब्धता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : सरकार ने पॉजिटिव जवाब दिया है । क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री राणा रणधीर : मंत्री जी को धन्यवाद के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री महबूब आलम । महबूब आलम जी कहां रहते हैं आप ? कहां बतियाते रहते हैं खाली, कहां आपका कटिहार, कहां उनका सिवान ?

क्रमांक–85 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलांतर्गत बारसोई प्रखंड के खुराधार घाट पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण जनहित में शीघ्र करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो पथ है जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं यह मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत क्रमांक 175 पर अंकित है । प्राथमिकता अनुसार स्वीकृति के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर निविदा के माध्यम से पुल का निर्माण कराया जायेगा । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री महबूब आलम : मैं वापस लेता हूं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–86 : श्री विनोद नारायण झा, स0वि0स0

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत अंतर्गत करही गांव में माध्यमिक स्कूल के लिए दान दी गयी छः एकड़ भूमि पर कन्या उच्च विद्यालय का निर्माण करावे ।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत नगवास पंचायत में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगवास की स्थापना हो चुकी है और वहां कार्यरत है । नगवास पंचायत में अलग से कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है परंतु माननीय सदस्य ने कहा तो इस पर हम विचार करेंगे और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनोद नारायण झा : मैं माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब में आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, अभी संकल्प की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए सदन की अवधि 04.30 बजे तक विस्तारित की जाती है ।

(सदन की सहमति हुई)

मिथिलेश जी, बोलिये ।

क्रमांक–87 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय के चहारदीवारी एवं शौचालय को सुव्यवस्थित करावे ।''

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक, मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय के कुल 219 विद्यालयों में से 119 विद्यालयों में चहारदीवारी पूर्ण है लेकिन शेष 100 विद्यालयों में से 10 विद्यालयों के लिए एल0ई0ए0ओ0 के द्वारा निविदा प्रकाशित की गयी है। शेष का कार्य हम लोग और शौचालयों का निर्माण आने वाले वित्तीय वर्ष में पूरा करेंगे । इसलिए माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिथिलेश कुमार : सरकार के सकारात्मक जवाब और कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–15 / मुकुल / 26.03.2025

क्रमांक–88 : श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०

श्री ललित कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खत्वे एवं चौपाल जाति को एक मानते हुए भारत सरकार से मांग की जाय कि खत्वे एवं चौपाल दोनों एक ही जाति है इसे (खत्वे) अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करते हुए इसे संविधान की 9 वीं अनुसूची में शामिल करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो बिहार सरकार ने कर ही दिया था और खत्वे को अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र भी निर्गत होने शुरू हो गये थे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, चौपाल...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, चौपाल तो है ही पहले से और खत्वे को चौपाल में, वही तो बता रहे हैं । बिहार में तो हमलोगों ने शुरू कर दिया था लेकिन अनुसूचित जाति में कोई संशोधन या उसमें घटाना या बढ़ाना, वह भारत सरकार की सूची से हो जाता है । उसको अनुसूचित जाति इसीलिए कहा जाता है कि वह संविधान की जो अनुसूची है उसमें उन जातियों का नाम है तो भारत सरकार के ओ0बी0सी0 की जो सूची है उसमें खत्वे का नाम लिखा हुआ है और वहां अगर भारत सरकार के जो जातियों की सूची है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये इसे भारत सरकार को भेज दें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हम यही तो कह रहे हैं, पहले ये सुन तब न ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले माननीय मंत्री जी की बात सुन लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वह हमलोगों ने भेज दिया है वही तो इनको कह रहे हैं । पत्रांक, दिनांक भी कहिये तो हम बता देते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी खत्वे जाति को चौपाल मानकर भेज दिये हैं भारत सरकार को ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जी हमलोगों ने भेज दिया है ।

श्री ललित कुमार यादव : ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य, अब आपसे आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : आपको धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–89 : श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–90 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स०

श्री मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत प्रखंड बांके बाजार के शोनदाहा टोला बारा में नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह पुल निर्माण से संबंधित है, इसलिए पथ निर्माण विभाग को गया है । मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसका कल जवाब देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इसका जवाब मंत्री जी कल देंगे ।

क्रमांक–91 : श्री विजय कु0 सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स०वि०स०

श्री विजय कु0 सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के गरीब किसानों का 2 लाख रूपये तक का कृषि ऋण (के०सी०सी०) माफ कराने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह भी कल होगा ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है । एक्चुअली यह कृषि विभाग से फाइनेंस डिपार्टमेंट को आया है । राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी इसका प्रस्ताव नहीं है । इसलिए क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री विजय कु0 सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये प्रस्ताव केवल भेज दें भारत सरकार में । क्योंकि यह किसानों के हित का मामला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले अपना संकल्प तो वापस ले लीजिए ।

श्री विजय कु0 सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम संकल्प वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–92 : श्री हरि नारायण सिंह, स०वि०स०

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलान्तर्गत नगरनौसा प्रखंड मुख्यालय नगरनौसा जिसकी आबादी लगभग 13,000 हजार है, उसे पंचायत से नगर पंचायत बनाने हेतु समुचित कार्रवाई करे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2020 के प्रावधानों के आलोक में नगर निकायों के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर नये नगर निकायों के गठन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–1713, दिनांक–14.05.2020 द्वारा सभी

जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है । इसके अतिरिक्त विभागीय पत्रांक–4180, दिनांक– 18.12.2020 द्वारा सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा समीक्षा कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । उपर्युक्त वर्णित पत्रों के आलोक में जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा नगरनौसा प्रखंड मुख्यालय नगरनौसा को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है । पुनः विभागीय पत्रांक–735, दिनांक–20.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया है, जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत निर्धारित मानकों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–93 : श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स०</u>

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखण्ड अन्तर्गत पचरूखी पंचायत में अवस्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल बलिराजगढ़ को पर्यटन स्थल घोषित करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत उत्खनन करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री मोती लाल प्रसाद, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बलिराजगढ़ प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम–1958 के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय संरक्षित घोषित स्मारक है । जिसका प्रबंध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है । समय–समय पर उचित प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु आवश्यक पत्राचार क्षेत्रीय कार्यालय, पटना एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से किया जाता है । अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि ये अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय मंत्री जी के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बाद क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आग्रह है कि प्रस्ताव भेजकर और इसके साथ ही मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प छूट गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी का छूटता नहीं है, आप बीच में गायब हो गये होंगे इसलिए आपका छूट गया ।

क्रमांक–94 : डॉ0 अजीत कुमार सिंह, स०वि०स०

डॉ0 अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के गरीबों के घरों जबरन लगाए जा रहे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर की योजना पर रोक लगावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संकल्प–4 में तो इसका जवाब दिया था लेकिन मैं और भी कुछ कह रहा हूं ।

अध्यक्ष : हां, आपने विस्तार से जवाब दिया था ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, अब विस्तार में नहीं शॉर्ट में ही जवाब दे मंत्री जी ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : नहीं, मैं विस्तार से जवाब दूंगा । महोदय, बोलते क्रम में ये कई एक आरोप भी लगाये थे इसलिए मैं विस्तार से जवाब दूंगा । वस्तुस्थिति यह है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर एवं सामान्य दोनों प्रकार के मीटर डिजिटल मीटर की श्रेणी में आते हैं । दोनों प्रकार के मीटरों में ऊर्जा खपत की गणना की प्रक्रिया एक समान है । स्मार्ट प्रीपेड मीटर में एक मॉडम मिस लगा होता है, जो पर्याप्त नेटवर्क सिग्नल की उपलब्धता में मीटर से दर्ज करके ऊर्जा खपत को केन्द्रीय सर्बर पर दैनिक आधार पर प्रेषित करता है जिसके आधार पर स्वतः ही अर्थात् किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना विद्युत विद्युतीकरण होता है । इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विद्युत विपत्र में त्रुटि की संभावनाएं नगण्य हैं इससे आम उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन किया जा रहा है । मौजूदा मीटरों को पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटर में प्रतिस्थापित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक–17.08.2021 को भारत का राजपत्र प्रकाशित किया गया, जिसके अनुपालन में विभिन्न राज्यों में स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन किया जा रहा है । बिहार राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन में उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता एवं नये विद्युत संबंध में जमानत की राशि भी नहीं ली जाती है । अधिष्ठापन में पूर्व उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें विभिन्न माध्यम जैसे–नुक्कड़, नाटक, पम्पलेट वितरण, बैनर, पोस्टर, माइकिंग इत्यादि से स्मार्ट मीटर की कार्य प्रणाली, इसे रिचार्ज करने की विधि, इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी जाती है । अधिक खपत से भ्रम को दूर करते हुए पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर को सीरीज

में लगाकर खपत की तुलना कर उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है । फिर भी यदि किसी उपभोक्ता को इसके उपरांत भी संशय होता है मीटर खराब अथवा तेज चल रहा है तो निकटतम विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में आवेदन देकर मीटर की जांच करवा सकते हैं । उपभोक्ता को पूर्णरूपेण जागरूक करने के पश्चात् ही स्मार्ट मीटर स्थापित किया जा रहा है ।

....क्रमशः...

टर्न–16 / यानपति / 26.03.2025

(क्रमशः)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य के लगभग 63 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर का अधिस्ठापन किया गया है । स्मार्ट मीटर सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक है जिससे उपभोक्ताओं को सही मांग पत्र पर विद्युत वितरण प्राप्त होता है । साथ ही अपने मोबाईल पर प्रतिदिन की ऊर्जा खपत की जानकारी प्राप्त कर ऊर्जा के अनावश्यक खर्च को भी नियंत्रित किया जा सकता है । उपभोक्ताओं को रिचार्ज हेतु कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं है एवं उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी न्यूनतम राशि से अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज करवा सकते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है, क्या आप उस आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मेरा सवाल भी तथ्यहीन नहीं है, मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है । मैं सदन से जानना चाहता हूं कि कौन उसके समर्थन में है, कौन विरोध में है...

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीत कुमार सिंह : मैं चाहता हूं कि सदन में इस विषय पर मत विभाजन हो जाय, मैं वापस नहीं लूंगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के गरीबों के घरों जबरन लगाए जा रहे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर की योजना पर रोक लगावे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक–95 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0</u>

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट शैलेन्द्र जी । आप जो बीच–बीच में बोल रहे हैं जब वह छोटा जवाब देते हैं यानी सॉलिड जवाब देते हैं, तब भी आप टोकते हैं, जब विस्तार से समझाते हैं तब भी आप टोकते हैं, आखिर आप कब संतुष्ट होनेवाले हैं ?

(व्यवधान)

श्री कुमार शैलेन्द्र : ललित जी बैठिए न, हमलोगों का समय जा रहा है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एक मिनट । व्यापक आंदोलन भी इनलोगों ने चलाया, इसीलिए मैंने विस्तृत जवाब दिया ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहपुर विधान सभा के अंतर्गत कोशी नदी पर विरपुर से बिहपुर एन0एच0–106 सड़क सहित पुल का निर्माण के लिए अशोक चौधरी सहित सैकड़ों किसानों का जमीन अधिग्रहित किया गया था बचे हुए दर्जनों किसान का मुआवजा सरकार दिलावे।''

अध्यक्ष : बैठिए, माननीय मंत्री जी आयेंगे तो जवाब देंगे ।

क्रमांक–96 : श्री शम्भुनाथ यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–97 : श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, स0वि0स0

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के कॉटी पखंडान्तर्गत आवागमन हेतु कलवाड़ी घाट से बगही तक बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के किसी भी पथ आरेखन पर नहीं है तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनांतर्गत मुजफ्फरपुर जिला के जिला संचालन समिति से प्राप्त प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है, सम्प्रति दोहरी संपर्कता का मामला होने एवं जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं होने के कारण पुल निर्माण का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : माननीय मंत्री जी, पूर्व में यह प्रस्ताव आया था 110 एम0एम0 के पुल का, कैसे कहा जा रहा है कि नहीं है तो हम तो आग्रह करेंगे कि नये वित्तीय वर्ष में इसको शामिल कर लिया जाय ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : शामिल कर लेंगे तो वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : पुल बनाने की बात बोल दें, हम वापस ले लेंगे, आगे भविष्य में ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : पुल बनाना बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के कॉटी पखंडान्तर्गत आवागमन हेतु कलवाड़ी घाट से बगही तक बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र जी का जवाब दीजिए मंत्री जी । हमलोग लगातार बैठे हैं और आप आगे–पीछे हो रहे हैं । हमलोगों को भी चाय पीने की इच्छा होती है ।

<u>क्रमांक–95 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0</u>

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत एन0एच0–106 विरपुर–बिहपुर कि0मी0 106 प्लस 000 से कि0मी0 136 तक दो लेन पक्के सोल्डर सहित पुनर्वास एवं उन्नयन कार्य की मंजूरी पैकेज–2 के अंतर्गत दी गयी है । यह योजना नॉर्थ पी0ओ0आई0 भागलपुर के अंतर्गत है । विदित हो कि उक्त परियोजना में पूर्व के सक्षम प्राधिकार भुमि सुधार उपसमाहर्ता नौगछिया थे । तदोपरांत जिला भू अर्जन पदाधिकारी भागलपुर को उक्त योजना के निमित्त सक्षम प्राधिकार नामित किया गया है । परियोजना से संबंधित उपलब्ध प्रलेखों के आधार पर अर्जनाधीन भूमि के कुल पंचायत की संख्या 94 है जिनमें से 54 पंचायत के हितबंध रैयतों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है । शेष बचे 40 पंचायत के हितबंद रैयतों अशोक चौधरी सहित का मुआवजा भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, चार साल से ये किसान लोग दौड़ रहे हैं बिहपुर से नौगछिया, नौगछिया से भागलपुर, सकारात्मक जवाब दिया । अभी बोले हैं कि वह ट्रांसफर हुआ है । सकारात्मक जवाब दिए हैं इसलिए वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–78 : श्री राम प्रवेश राय, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उमाकांत सिंह को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के रतनसराय रेलवे स्टेशन पर छपरा–लखनऊ, गोमती नगर एक्सप्रेस एवं मांझा गढ रेलवे स्टेशन पर पाटलीपुत्र एक्सप्रेस के ठहराव हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के रतनसराय रेलवे स्टेशन पर छपरा–लखनऊ, गोमती नगर एक्सप्रेस एवं माझा गढ रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर–पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के ठहराव कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित, इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2374, दिनांक– 20.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बैठिए, स्वीकृत हो गया, अब क्या बोलना है आपको ।

क्रमांक–98 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह केसरिया विधान सभा अंतर्गत अवस्थित साईबेरियन पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध सरोतर झील का सौंदर्यीकरण कराते हुए उसे पक्षी विहार एवं पर्यटन स्थल घोषित करे ।''

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरोतर झील की भूमि वन भूमि नहीं है इसलिए इस पर इको टूरिज्म और अन्य प्रबंधन कार्य करना अभी संभव नहीं है । परंतु विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पक्षी गणना का कार्य कराया जाता है । 30 जनवरी, 2025 एवं 27 फरवरी, 2025 को जिलाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में जिला आर्द्र भूमि समिति की बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदुओं में सरोतर झील भी सम्मिलित था । भूमि संबंधित जानकारी हेतु अंचलाधिकारी केसरिया को पत्र लिखा गया है । अंचलाधिकारी, केसरिया से भूमि की विस्तृत जानकारी प्राप्त होते ही जिला आर्द्र भूमि समिति की बैठक में वेट लैंड रूल 2017 के तहत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका एक बार और उत्तर आया था और इसमें था कि अंचलाधिकारी ने कहा है कि...

अध्यक्ष : सरकार ने समुचित जवाब दिया है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : 45.88 एकड़ जमीन एवेलेबल है...

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : तो उनका जवाब पहले ही आ चुका है तो इसको जल्द से जल्द कराने का आग्रह करते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य मोहम्मद नेहालउद्दीन ।

क्रमांक–41 : मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0

मोहम्मद नेहालउद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद के रफीगंज विधान सभा के प्रखंड रफीगंज में बराही से खराटी तक पथ का निर्माण कराना अति आवश्यक है, पथ नहीं रहने से ग्रामीणों को आनेजाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पक्की सड़क का निर्माण करावे ।''

महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

मोहम्मद नेहालउद्दीन : एक मिनट, जवाब नहीं मांग रहे हैं, मेरा इसमें छूट गया था खराटी से जमीरगंज होते हुए सोयबगंज वह होना था । तो इसमें लिखा गया है गलती से इसलिए ।

टर्न–17 / अंजली / 26.03.2025

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन बसावट ग्राम बराही पथ निर्माण विभाग के पथ ओबरा रफीगंज पर अवस्थित है । खराटी बसावट को बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत मरम्मती कराये गये पथ से एकल संपर्कता प्रदत्त है । उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है और इसकी स्थिति संतोषजनक है । प्रश्नगत बराही से खराटी तक कोई पथ आरेखन नहीं है । वर्णित परिस्थितियों में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कुछ और कह रहे हैं ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : माननीय मंत्री महोदय, वह गलती से लिखा गया था । हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करते हैं कि खराटी से जमीरगंज होते हुए सोयबगंज वह नहीं बना हुआ है, आजादी के बाद से ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लीजिएगा ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : ठीक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : जी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–99 : श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, स०वि०स०

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य नरेन्द्र नीरज जी, ''मैं प्रस्ताव करता हूं कि'' पहले बोलिए ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : ठीक है महोदय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत पुलिस जिला नौगछिया को पूर्ण जिला बनावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नए जिलों के सृजन के संबंध में अभी सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जब निर्णय लिया जाएगा तो नौगछिया पर निश्चित विचार किया जाएगा क्योंकि इसकी मांग पहले से चली आ रही है ।

इसलिए अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : यह पुराना पुलिस जिला है । इसलिए आग्रह है कि...

अध्यक्ष : हाँ–हाँ, संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? सरकार ने पॉजीटिव जवाब दिया है ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : जी–जी, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, अपना संकल्प पढ़िये ।

क्रमांक–100 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स०वि०स०

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी प्रखण्ड के तेलनारायणपुर रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के मालदह जिलान्तर्गत भोलका शेड तक रेलवे लाईन का विस्तार करने की सिफारिश रेल मंत्रालय भारत सरकार से करे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, तेलनारायणपुर रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के मालदाह जिलान्तर्गत भोलका शेड तक रेलवे लाईन का विस्तार कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित है ।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2375, दिनांक–20.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना...

अध्यक्ष : अनुरोध नहीं । मनोहर जी, आपका हो गया, बैठ जाइए । सरकार को धन्यवाद दे दीजिए और वापस नहीं लीजिए । यह स्वीकृत हुआ ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मैं धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष : हाँ । माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रौशन । बोलिए लखेंद्र जी ।

क्रमांक–101 : श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स०वि०स०

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत नुन नदी नहर खजनपुरा करघट्टी से चाँदपुरा, बलीगाँव घाट होते हुए कोठिया नुन नदी से लखनिया पुल तक नहर का उड़ाही करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है । अगले वित्तीय वर्ष में उड़ाही का काम करा दिया जाएगा । इसलिए माननीय सदस्य अभी अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद । अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण करा दें । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–102 : श्री अवधेश सिंह, स०वि०स०

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बिहार राज्य के निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों जिला पार्षदों एवं नगर पार्षदों का मानदेय बढ़ावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक–समान रूप से जो संकल्प आता है...

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट ठहरिए । एक–समान संकल्प आता है, एक ही विषय पर, अलग–अलग माननीय सदस्य देते हैं, जो विषय है, तो उसको डिलीट करने का कुछ है कि नहीं कि सब का अलग–अलग माना जाएगा, बताइए, अवध विहारी बाबू और आप दोनों आदमी । पुराने लोगों का अनुभव लें हम ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आसन या सदन संचालन के लिए सारे नियम प्रावधान अपनी नियमावली में दर्ज है । उसी में एक नियम यह भी है कि अगर

अध्यक्ष किसी नियम या प्रावधान करने से सदन के सु–संचालन के लिए संतुष्ट हों तो सदन की सहमति से वह नियम बना सकते हैं ।

अध्यक्ष : हम तो आपसे पूछ रहे थे कि है कि नहीं, करना है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विषय तीसरी बार आ रहा है । माननीय मंत्री जी तीसरी बार इसका जवाब देंगे । माननीय मंत्री ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–2466, दिनांक–11.06.2013 द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य तथा पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख एवं सदस्यों को पूर्व में स्वीकृत नियत मासिक भत्ता को विभागीय संकल्प संख्या–2517, दिनांक– 05.05.2015 द्वारा वृद्धि की गई है । दर्ज प्रतिनिधियों के पदनाम–जिला परिषद अध्यक्ष को बारह हजार, उपाध्यक्ष को दस हजार, जिला परिषद सदस्य को एक हजार, पंचायत समिति प्रमुख–दस हजार, पंचायत समिति उप प्रमुख–पांच हजार, पंचायत समिति सदस्य–एक हजार, नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2523, दिनांक–19.05.2015 द्वारा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रतिनिधियों को 01.04.2015 के प्रभाव से मानदेय में वृद्धि की गई है । वैसी स्थिति में महापौर को बारह हजार, उप महापौर को दस हजार, पार्षद मेयर एवं उप मेयर को छोड़कर ढाई हजार, सभापति–दस हजार, उप सभापति–आठ हजार, वार्ड पार्षद–डेढ़ हजार, सभापति अध्यक्ष–छह हजार, उपाध्यक्ष–पांच हजार और वार्ड पार्षद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को एक हजार वर्तमान में सरकार के समक्ष मानदेय बढ़ाये जाने से संबंधित कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तीन बार इस पर जवाब दिया है । अब आप भी संतुष्ट हो जाइए । अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री अवधेश सिंह : महोदय, हम संतुष्ट हैं । माननीय मंत्री जी ने जो बताया है 2013 और 2015 में बढ़कर एक हजार हुआ है और पंद्रह सौ हुआ है ।

अध्यक्ष : अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं आप ?

श्री अवधेश सिंह : 33 रुपया और 50 रुपया है, तो हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि इसको पुनरीक्षित करावें ।

अध्यक्ष : अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं आप ?

श्री अवधेश सिंह : जी महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–103 : श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स॰वि॰स॰

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के वैशाली जिला फल एवं अनाज उत्पादन में अग्रणी होते हुये भी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट (कारखाना) नहीं होने की स्थिति में राजापाकर में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक यूनिट की स्थापना करावे ।''

अध्यक्ष : सदन की अवधि पाँच बजे तक विस्तारित की जाती है ।

(व्यवधान)

मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तय करिए ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती, निजी क्षेत्र के निवेशक के द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी उद्योग नीति में निहित प्रावधानों के तहत सहायता प्रदान की जाती है । राज्य परिषद द्वारा वैशाली जिले में उद्योग लगाने एवं औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु 1243.45 एकड़ चिन्हित भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिसमें राजापाकर अंचल के थाना संख्या–255, मौजा–मोहनपुर, बखरी एवं थाना संख्या–257, मौजा–जाफरपट्टी की लगभग 2500 एकड़ भूमि भी सम्मिलित है । इस हेतु उद्योग विभाग का संकल्प संख्या–145, दिनांक–10 जनवरी, 2025 निर्गत किया जा चुका है । वर्तमान में वैशाली जिला के राजापाकर में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से आच्छादित खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की दो इकाइयां कार्यरत हैं एवं एक इकाई को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त वैशाली जिला में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से आच्छादित कुल 19 इकाइयां कार्यरत हैं, जिसमें निवेश की राशि लगभग 428 करोड़ 97 लाख रुपए हैं । कुल 215 करोड़ 42 लाख 46 हजार के निवेश प्रस्ताव की 11 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस एवं 1 हजार 98 करोड़ 3 लाख 72 हजार रुपए के निवेश प्रस्ताव के 33 इकाइयों को स्टेज–वन क्लियरेंस दिया जा चुका है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : जी महोदय । मैं माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के लिए राजापाकर की जनता की तरफ से धन्यवाद देती हूं और अपना संकल्प वापस लेती हूं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–104 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार सिंह । राजेश जी, अपना प्रस्ताव रखिए ।

क्रमांक–105 : श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाली बख्तियारपुर–ताजपुर फोरलेन पुल–सह–सड़क मार्ग में चकसाहो पंचायत के वार्ड–06 में अवस्थित ट्रांसफार्मर के समीप एवं ग्राम–सरहद माधो में कलकलीया पुल से पूरब, दोनों स्थलों पर सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि से जल निकासी हेतु कलभर्ट का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो एन0एच0 पर है, तो पथ निर्माण विभाग इसको देखेगा । हमने उस विभाग से अनुरोध किया है इसको देख लेंगे, क्योंकि एन0एच0 में कलभर्ट बनाना है ।

अध्यक्ष : पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी हैं ?

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : जी महोदय, इसको देख लेंगे ।

अध्यक्ष : कल जवाब दीजिए ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : ठीक है महोदय ।

अध्यक्ष : इसका जवाब कल होगा । बैठिये ।

टर्न–18 / पुलकित / 26.03.2015

क्रमांक–106 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के पचीरा पंचायत के ग्राम पचीरा में अवझा धार में पुल निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पचीरा पंचायत के ग्राम पचीरा में अवझा धार में पुल निर्माण का प्रस्ताव जिला संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकता सूची क्रमांक–281 पर है । प्राथमिकता अनुसार स्वीकृति के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर निविदा के माध्यम से पुल निर्माण कराया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अचमित ऋषिदेव : जी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–107 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सीमांचल क्षेत्र में राजवंशी समुदाय के देशिया–पोलिया जाति जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से अनुसूचित जनजाति के समतुल्य है, को असम एवं बंगाल राज्य के तर्ज पर उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये सभी जातियां बिहार के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल है और जहां तक अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रश्न है तो यह राज्य सरकार के क्षेत्राधीन नहीं है । इसलिए अभी माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्या अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहती है ?

श्रीमती निशा सिंह : जी, इनका प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास ही भेजा जाए क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है । वहां पर सीमांचल में...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती है ?

श्रीमती निशा सिंह : जी, मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–108 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर सहित राज्य में बुनकरों की बदहाल स्थिति के आकलन एवं उसकी बेहतरी का सुझाव देने के लिए राज्य बुनकर आयोग का गठन करे ।''

(इस अवसर पर सभापति, श्री दामोदर रावत ने आसन ग्रहण किया)

सभापति (श्री दामोदर रावत) : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : सभापति महोदय, भागलपुर सहित पूरे राज्य में बुनकरों की स्थिति के आकलन के फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम जिसमें बुनकरों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है, जो

निम्न है – कार्यशील पूंजी की योजना, विद्युत करघा बुनकरों की विद्युत अनुदान योजना, छात्रवृत्ति की योजना, हस्तकर विपणन सहायता योजना, बुनकर अंशदान की योजना, कल्स्टर डेवलेपमेंट योजना, मेगा डेवलेपमेंट हैंडलूम कलस्टर डिजाईन स्टूडियो भागलपुर में चलायी जा रही है । राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के माध्यम से सतत बुनकरों की बेहतरी का प्रयास किया जा रहा है एवं गंभीरतापूर्वक अनुश्रवण भी किया जाता है । सम्प्रति राज्य बुनकर आयोग का गठन हो चुका है एवं उनके अध्यक्ष, सदस्यों का मनोनयन प्रक्रियाधीन है । केन्द्र और राज्य सरकार हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के माध्यम से योजनाओं का सफल संचालन एवं बुनकरों की समस्याओं के समाधान के प्रति सजग है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, बुनकर आयोग की बात इन्होंने नहीं की । मैंने कहा कि उसको गठन करना चाहिए ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : मैंने कहा है ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–109 : श्री विजय कुमार, स0वि0स0</u>

श्री विजय कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चेवाड़ा–सिरारी सड़क जो सिरारी रेलवे स्टेशन से होकर चेवाड़ा प्रखंड मुख्यालय एवं नगर पंचायत चेवाड़ा को जोड़ती है, का चौड़ीकरण करावे ।''

सभापति (श्री दामोदर रावत) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शेखपुरा विधान सभा क्षेत्र चेवाड़ा–सिरारी सड़क जो सिरारी रेलवे स्टेशन की है । जो सिरारी रेलवे स्टेशन से होकर चेवाड़ा प्रखंड मुख्यालय एवं नगर पंचायत चेवाड़ा को जोड़ती है । उक्त पथ शेखपुरा पथ प्रमंडल अंतर्गत सिंगल लेन 3.75 मी0 का है । इसका डी0पी0आर0 मंगाने के लिए कहा गया है । अगले वित्तीय वर्ष में इसको दिया जाएगा ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : माननीय मंत्री के सकारात्मक उत्तर के आलोक में क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री विजय कुमार : मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद । जल्द से जल्द करावे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–110 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

श्री पवन कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर एवं झारखण्ड जिला को ध्यान में रखते हुए भागलपुर से साहिबगंज रेल खंड के बीच पैसेंजर ट्रेन की कमी को दूर करने हेतु एक मेमू रैक के साथ नई मेमू ट्रेन चलवाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

सभापति (श्री दामोदर रावत) : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, भागलपुर एवं झारखण्ड जिला को ध्यान में रखते हुए भागलपुर से साहिबगंज रेल खंड के बीच पैसेंजर ट्रेन की कमी को दूर करने हेतु एक मेमू रैक के साथ एक नई मेमू ट्रेन चलाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2376, दिनांक– 20.03.2025 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : माननीय सदस्य आपका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

श्री पवन कुमार यादव : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक– 111 : श्री प्रहलाद यादव, स0वि0स0

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला पिपरिया प्रखंड के पथुआ एवं कन्उरपुर गांव के सड़क को दोनों गांव की आबादी पांच हजार है, जिसको मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करावे ।''

(व्यवधान)

सभापति (श्री दामोदर रावत) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्ताव दो बसावटों की संपर्कता से संबंधित है । पथुआ ग्राम – उक्त बसावट की संपर्कता शीर्ष एस0एस0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथुआ बिन्द टोली मुरबरिया से पथुआ पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से प्राप्त है । कन्हरपुर ग्राम – उक्त बसावट की संपर्कता हेतु शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत एल–041 पथुआ से कन्हरपुर पथ के नाम से निर्माण कार्य कराया जा रहा था । निर्माण कार्य के दौरान पथ के आरेखन में

रैयती जमीन, टोपो लैंड होने के कारण इसके मापी, सीमांकन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अंचलाधिकारी, पिपरिया से प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करा लिया जाएगा ।

अतः वर्णित परिस्थितियों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

(व्यवधान)

<u>क्रमांक–112 : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0</u>

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखण्ड का मुख्य प्रशासनिक भवन का निर्माण करावे ।''

सभापति (श्री दामोदर रावत) : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2012–13 में जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनी फरीदपुर प्रखण्ड हेतु प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा, आवास निर्माण एवं परिसर विकास योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त के आलोक में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और आवासीय भवन हस्तांतरित है । स्थल समस्या के कारण रतनी फरीदपुर प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका है ।

बिहार रैयती लीज नीति, 2014 के तहत सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव की मांग समाहर्ता, जहानाबाद से की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । मैंने पर्सनली भी जहानाबाद के डी0एम0 से बात की है और मामला कुछ उलझा हुआ है । माननीय सदस्य भी कुछ हिम्मत लगाये और जल्दी से जल्दी यह प्रस्ताव मंगाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, उसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है । सरकार के सामने हमलोग याचक के रूप में खड़े रहते हैं ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : क्या आप अपना प्रस्ताव लेना चाहते हैं ?

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, हम प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–113 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

श्री अमरजीत कुशवाहा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मैरवा, नवतन, गुठनी, दरोली तथा जीरादेई पांच प्रखंडों को मिलाकर मैरवा को अनुमंडल बनाने की मांग वर्षों पुराना है एवं वर्तमान सीवान अनुमंडल मुख्यालय की दूरी गुठनी दरौली तथा नवतन से लगभग 35–40 कि0मी0 है । मैरवा में पूर्व से ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विद्युत, गंडक तथा पुलिस विभाग का भी अनुमंडल मुख्यालय कार्यरत है, मैरवा को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिलावे ।''

टर्न–19 / अभिनीत / 26.03.2025

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसके संबंध में तो हमने पहले ही कहा है कि कहीं भी अनुमंडल को जिला बनाने की कार्रवाई की निर्धारित प्रक्रिया है । कोई भी प्रस्ताव जिला पदाधिकारी द्वारा आयुक्त के माध्यम से भेजा जाता है, फिर यहां सामान्य प्रशासन विभाग उसकी समीक्षा करता है तब उस पर सरकार निर्णय लेती है लेकिन इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए अभी विचाराधीन नहीं है । प्रस्ताव आयेगा सरकार विचार करेगी, अभी माननीय सदस्य संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, आग्रह बस इतना ही है कि पिछले भी सदन में मैंने इस बात को उठाया था और लगातार लोगों की मांग है । ऊपर से ही प्रस्ताव मंगवा लिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अगर पिछली बार भी यही जवाब दिया गया था, इसका मतलब तो यही है कि सरकार बात बदलती नहीं है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, सरकार तो वही न है ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमरजीत कुशवाहा : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–114 : श्री मो0 अफाक आलम, स0वि0स0

श्री मो0 अफाक आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलांतर्गत कसबा प्रखंड के राधानगर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 20 वर्षों से जर्जर, अतिक्रमित है एवं चाहरदीवारी और चिकित्सक नहीं हैं, उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्धार, अतिक्रमण से मुक्ति एवं चाहरदीवारी का निर्माण और चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति करावे ।''

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कसबा प्रखंड के राधानगर में अवस्थित जर्जर भवन रानी कलावती अस्पताल, राधानगर गड़नौली का है । जो लगभग 30–35 वर्षों से क्रियाशील नहीं है । उक्त केन्द्र के परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को विभागीय पत्रांक–480/10, दिनांक–25.03.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है । प्रश्नगत स्थल से लगभग 2 कि0मी0 दूरी पर 30 शैय्या का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कसबा एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, राधानगर, गड़नौली संचालित है । जहां से आमजनों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है । अतएव उक्त केंद्र के निर्माण किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री दामोदर रावत) : : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री मो0 अफाक आलम : सभापति महोदय, बोलना यह है कि चिकित्सक नहीं जायें वहां..

सभापति (श्री दामोदर रावत) : अब बोलना क्या है ? माननीय मंत्री ने तो विशेष जवाब दिया है ।

श्री मो0 अफाक आलम : लेकिन वह जमीन सरकारी जमीन है, उसमें अतिक्रमण हो रहा है। उस जमीन को खाली कराया जाय ।

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–115 : श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महाराजगंज प्रखंड के जगदीशपुर एवं धनछुहां ग्राम, जो आजादी के बाद से अभी तक किसी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में सम्मिलित न होने के कारण सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं से वंचित है और इसलिए पिछड़े हुए हैं, को नगर पंचायत महारजगंज में सम्मिलित करने की जो अंतिम अधिसूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अभी तक जारी नहीं हुई है, उस अधिसूचना को जारी करावे ।''

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सीवान जिलांतर्गत नगर पंचायत, महाराजगंज में ग्राम जगदीशपुर एवं धनछुहां को सम्मिलित किये जाने से संबंधित अधिसूचना सं0–524, दिनांक– 06.03.2025 को निर्गत की जा चुकी है । आपकी जो चिंता थी उसको हम ऑलरेडी शामिल कर लिये हैं । इसलिए निर्गत किया जा चुका है, अब हिस्सा हो जायेगा नगर पंचायत का । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया, अब क्या है । आपने कहा और वे मान लिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, प्रथम अधिसूचना जारी हुई थी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अंतिम अधिसूचना इस विषय की जारी हो गयी ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गयी, उन्होंने तो बताया । आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी हो गयी है । आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, ये दो ग्राम, 73 वर्ष की आजादी के बाद भी किसी नगर पंचायत में यह शामिल नहीं थे । मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–116 : श्री भाई वीरेंद्र, स0वि0स0</u>

श्री भाई वीरेंद्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलांतर्गत मनेर प्रखंड स्थित ग्राम हल्दी छपरा के निकट संगम स्थल को पर्यटक स्थल घोषित कर सौंदर्यीकरण करावे ।

श्री राजू कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना जिलांतर्गत मनेर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत हल्दी छपरा, किता चौहत्तर पश्चिमी के निकट अवस्थित है । उक्त स्थल के समीप तीन नदियों का मिलन है, यथा गंगा, सोन एवं सरयू नदी । विभिन्न त्यौहारों जैसे छठ पूजा एवं कार्तिक पूजा पूर्णिमा में संगम स्थल पर ग्रामीण जनता एवं सुदूर क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपस्थित होकर यहां पर स्नान–ध्यान एवं पूजा–पाठ किया जाता है । संगम हल्दी छपरा घाट के करीब 200 मीटर नदी के बीच में है, जहां स्थानीय नाव के माध्यम से निवासी आवागमन करते हैं । घाट से लगी हुई जमीन गंगा के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है एवं कोई

बसावट नहीं है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1059, दिनांक– 25.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना से वर्णित स्थल पर पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विविध प्रपत्र में भूमि की उपलब्धता एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : स्पष्ट रूप से मांगा गया है ।

श्री भाई वीरेंद्र : माननीय मंत्री जी को बधाई ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भाई वीरेंद्र : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–117 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजय कुमार सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा दिये जाने हेतु राज्य सरकार रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करे ।''

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1288, दिनांक–17.03.2021 द्वारा अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय भारत सरकार को जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब तो हो गया । संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–118 : श्री सिद्धार्थ पटेल, स0वि0स0

श्री सिद्धार्थ पटेल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलांतर्गत वैशाली विधान सभा क्षेत्र के गौरौल प्रखंड के पीरोई पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण हेतु स्थल चयन, जमीन की उपलब्धता होने एवं निविदा के बावजूद इसका निर्माण नहीं हुआ है यथाशीघ्र निर्माण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गौरौल प्रखंड के पीरोई पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र, पीरोई स्वीकृत है एवं सरकारी भवन में संचालित है, जहां से प्रश्नगत ग्राम के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । भूमि उपलब्ध होने की सूचना सिविल सर्जन, वैशाली द्वारा दी गयी है । भूमि उपलब्धता के आधार पर स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी बी0एम0एस0आई0सी0एल को प्राक्कलन तैयार करने हेतु निदेशित किया गया है । इसके प्राप्त होने के उपरांत जैसे ही प्राक्कलन प्राप्त हो जायेगा, अगले वित्तीय वर्ष में विहित प्रक्रियानुसार निर्माण प्रारंभ करा दिया जायेगा ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक उत्तर के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सिद्धार्थ पटेल : अध्यक्ष महोदय, वह निजी भवन में चल रहा है ।

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा प्राक्कलन बनाने का निर्देश दे दिया है । संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री सिद्धार्थ पटेल : जी, वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–119 : श्री रामविशुन सिंह, स0वि0स0</u>

श्री रामविशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलांतर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर प्रखंड में एन0एच0–319, कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय, विमावा से कौड़िया हॉल्ट तक जनहित में सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ आरेखन में विमवा एवं कौड़िया बसावट अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता की स्थिति निम्नवत् है

विमवा बसावट को पी0एम0जीएस0वाई अन्तर्गत निर्मित एनएच–30 से डुमवा पथ से सम्पर्कता प्राप्त है वर्तमान में यह पथ अनुरक्षण अवधि से बाहर है । पथ की मरम्मति हेतु एमएमजीएसवाई अन्तर्गत स्वीकृत है, जो निविदा की प्रक्रिया में है । निविदा निष्पादन के उपरांत पथ का मरम्मत कार्य करा लिया

जायेगा । कौड़िया बसावट एवं कौड़िया हाल्ट को पीएमजीसवाई अन्तर्गत निर्मित बिहिया, कटैया गुमटी से कुबदाहा घाघा पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । वर्तमान में इस पथ का एमएमजीएसवाई से मरम्मति कार्य प्रगति में है । अभिस्तावित पथ आरेखन में अवस्थित सभी योग्य बसावटों को एकल सम्पर्कता प्राप्त है । इसलिए ग्रामीण कार्य विभाग किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । वर्तमान में इस पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

वर्णित परिस्थितियों में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री रामविशुन सिंह : जी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, बैठ जाइये । 5 बजे खत्म करेंगे ।

क्रमांक–58 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद के देव प्रखंड अंतर्गत ग्राम गोल्हा जगदीशपुर पथ को पूर्ण कराने हेतु वन विभाग को गैर वन भूमि उपलब्ध करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित औरंगाबाद जिला के देव प्रखंडाधीन एमएमजीएसवाई वन अंतर्गत वर्ष 2018–19 में स्वीकृत पैकेज संख्या–बीआर02आर 748 औरंगाबाद से विष्णुपद से संबंधित है । उक्त पथ की स्वीकृति लंबाई 08 किमी है । कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 5.5 कि0मी0 पथांश का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 2.5 कि0मी0 पथांश का निर्माण कार्य वन क्षेत्र में अवस्थित रहने के कारण लंबित है । वन क्षेत्र में अवस्थित पथांश में एक बसावट जगदीशपुर, आबादी लगभग 215 पड़ता है, जो पथ के आरेखन के अंत में स्थित है एवं असम्पर्कित है । वन भूमि होने के कारण उक्त पथांश पर कार्य पूर्ण करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया था । वन क्षेत्र में अवस्थित पथांश का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 2.5 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है । उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–1074, दिनांक–24.04.2023 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से उक्त पथांश के निर्माण के लिए 2.5 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को स्थापित

किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो सम्पर्कता प्राप्त है । 2.5 हेक्टेयर गैर वन भूमि प्राप्त होने के उपरांत लंबित पथांश के निर्माण की अग्रेतर कार्रवाई विभाग द्वारा की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर लंबा है, लेकिन मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–120 : श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–121 : श्री जितेन्द्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलांतर्गत अस्थावां विधान सभा क्षेत्र में बिन्द प्रखंड के उत्तरथू पंचायत के ग्राम उत्तरथू में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निविदा वैगरह हो जाने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है जनता के हित में यथाशीघ्र निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, उत्तरथू के निर्माण हेतु पुनर्निविदा संख्या–बी0एम0एस0आई0सीएल/इन्फ्रा/02/2025, दिनांक–07.01.2025 के माध्यम से आमंत्रित की जा चुकी है एवं निविदा निष्पादन प्रक्रियाधीन है । शीघ्र ही निविदा निष्पादित करते हुए तीव्र गति से निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि चार माह निर्धारित है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री जितेन्द्र कुमार : धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–122 : श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स0वि0स0

श्री मोहम्मद अनजान नईमी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलांतर्गत बहादुरगंज प्रखंडाधीन निशन्द्रा के मालीटोला टंगटंगी के पास मारियाधार नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्डाधीन निशन्द्रा के मालीटोला टंगटंगी के पास मारियाधार नदी पर पुल का निर्माण जिला संचालन समिति द्वारा चिन्हित पुलों की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । उक्त पुल मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के निर्माण के प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त करने हेतु जिला संचालन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जा सकेगा। उसके पश्चात स्वीकृति के उपरांत प्राथमिकतानुसार निधि की उपलब्धता के आधार पर पुल निर्माण की कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, पुल बहने के 17 साल हो गये हैं । इसमें पुल बनना अति आवश्यक है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : वापस ले लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–123 : श्री रामचन्द्र प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–125 : श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों में अवसरों को सुरक्षित रखने हेतु झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस तरह के नियम को दूसरे राज्यों को देखकर लागू करने का तो विचार नहीं है, लेकिन सरकार का यह नियम है कि जितने आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं, जो लगभग 60 प्रतिशत हो जाती हैं । वह सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित हैं । जितने आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं उसमें इसी राज्य के छात्र या अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं । इसीलिए लगभग 60 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में अभी भी राज्य के अंदर के आते हैं और पूर्ण रूप से दूसरे राज्यों की तर्ज पर लागू करने की योजना नहीं है ।

इसलिए माननीय से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि आरक्षित श्रेणी में दूसरे राज्य के नहीं हैं । महिलाओं में हैं और दिव्यांग श्रेणी में बड़ी संख्या में बिहार के लोगों से ज्यादा दूसरे प्रदेश के हैं ।

अध्यक्ष : सरकार ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री संदीप सौरभ : महोदय, टीयर–1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था । जब लागू हो सकता है एक बार...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वह जो बता रहे हैं, उसका भी क्लेरिफिकेशन जा रहा है । महिलाएं और दिव्यांग जो हैं, वह होरिजेंटल रिजर्वेशन में आते हैं मतलब क्षैतिज आरक्षण है । वर्टिकल आरक्षण दूसरा होता है, उसमें सामाजिक वर्ग होता है । ये शारीरिक वर्ग के लोग हैं, महिला या दिव्यांग यह उसी वर्ग के लोगों को आता है । इसीलिए वह क्लेरिफिकेशन जा रहा है । जो आप कह रहे हैं उसका निदान भी हो रहा है । अभी अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संदीप सौरभ : महोदय, सकारात्मक जवाब कहां है ? पड़ोस के राज्य में बिहार के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं । वोटिंग करा दिया इस पर ।

अध्यक्ष : करा रहे हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों में अवसरों को सुरक्षित रखने हेतु झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न–21 / धिरेन्द्र / 26.03.2025

क्रमांक–126 : श्री देवेश कान्त सिंह, स॰वि॰स॰

श्री देवेश कान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला के महाराजगंज कार्य प्रमंडल अन्तर्गत लकड़ी नवीगंज प्रखण्ड के महुआरी बाजार से तक्थटोला तक जाने वाली कच्ची सड़क जो बारहमासी सम्पर्कता से वंचित है, आमजनों को आवागमन काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है प्रखण्ड मुख्यालय जाने हेतु उक्त महत्वपूर्ण पथ को यथाशीघ्र पक्कीकरण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 1.32 किलोमीटर है जिसका सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाईल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आई॰डी॰ 95034 है । तदनुसार, अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के आलोक में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री देवेश कान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि उसका ऐप....

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, आपके आदेश से हम संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, शेष गैर–सरकारी संकल्प की सूचनाएं कल दिनांक–27 मार्च, 2025 को ली जाएंगी ।

(व्यवधान)

कल लिया जायेगा । 5.00 बज गया, बैठिये ।

(व्यवधान)

कल लिया जायेगा । मैं कह रहा हूँ कल लिया जायेगा । बैठिये ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–26 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–48 है....

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, एक नियम बना दिया जाय कि उन्हीं माननीय सदस्यों का गैर–सरकारी संकल्प सदन में लिया जायेगा जो सदन की समाप्ति तक सदन में बैठेंगे । नहीं तो अपना–अपना पढ़ कर लोग चले जाते हैं, सदन खाली छोड़ कर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कल ले लेंगे, बताया न अभी ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य संकल्प देते हैं और खुद नहीं पढ़ते हैं, खुद सदन में नहीं रहते हैं दूसरे को दे देते हैं । इस परंपरा को भी समाप्त की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–26 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–48 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही वृहस्पतिवार दिनांक–27 मार्च, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।